

# एलआईसी का नया एंडोमेन्ट प्लस LIC's New Endowment Plus

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)



## <u>भाग - अ (जारी...)</u>

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में ''निगम'' कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और पहले प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अत: निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि अनुसूची में निर्धारित परवर्ती प्रीमियमों की विधिवत प्राप्ति होने पर और उसके प्रतिफल स्वरूप बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शतौं के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शतौं के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/वाले उक्त व्यक्ति उसका/उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की उम्र सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एतदद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इसके पीछे की तरफ छपी परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

#### PART - A (Contd...)

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related to servicing aspects, Other terms and conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE		तालिका / SCHEDULE		शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE		
पॉलिसी सं.: Policy No.:		चुना गया फंड: Fund Opted:		बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:		
पॉलिसी की आरंभ तिथि: Date of Commencement of policy:		परिपक्वता की तिथि : Date of Maturity:			पक्ति की उम्र: he Life Assured:	
	भ होने की तिथि: mencement of Risk:		प्रीमियम भुगतान की देय Due date of premium			स्वीकृत है? r age Admitted?
प्लान तथा पॉति Plan and Polic	लेसी की अवधि: cy Term:		प्रीमियम के भुगतान का माध्यम: Mode of payment of premium:			
प्रीमियम की किज Instalment Pre			अंतिम प्रीमियम की देय नि Due Date of Last pre			
	: (10 * वार्षिकीकृत प्रीमियम) र ssured: (10 * annualized prem					
क्रम सं / Sr. No	चुना गया राइडर / Rider Opte	d ;	यूआईएन / UIN	राइडर बीमा राशि / Rider Sum Assu	red राइ	डर की समाप्ति की तिथि / Date of Rider termination
1						
Note: Conditi	ons of the rider(s) mentioned	under Conditio	n no. 4 of Part C (Benefit	ो लागू होंगी अगर इस राइडर को चुना गर ts) shall only apply if the above ment		s have been opted for.
Name of Nom यदि नामित अव	, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत ninee under Section 39 of the ग़यस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का a minor, name of the Appoint	Insurance Act, नाम:				
प्रस्ताव सं.: Proposal No.:	प्र	ताव की तिथि: ite of Proposal:	:	हितलाभ चित्रण संदर्भ सं Benefit Illustration Reference No.:		
प्रस्तावक का नाम और पता / Name and address of Propose			r.	बीमित व्यक्ति का नाम और पत	ſ/Name an	d address of Life Assured:
थारा 39 के अंतर्गत नामितों या प्रमाणित निष अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी किया होगा । Beneficiary to whom Benefits payable The proposer or the Life Assured or his , the Insurance Act, 1938 or proved Execu			ात निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैध 5 किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी or his Assignee under section 38 of t Executors or Administrators or other	ानिक प्रॅतिनिर्ग न्यायालय, ज he Insuranc Legal Repri	नी को या बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 1938 की धैयों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के तो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त se Act, 1938 or Nominees under Section 39 of esentatives who should take out representation rt of any State or Territory of the Union of India,	
प्रीमियम किस उ	अवधि तक देय	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि या बीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक				
Period during	which premium payable	Till the stip	ulated due date of last p	remium or earlier death of the Life As	sured.	
	प्रीमियम देय होने की तिथि निर्धारित देय तिथि को					
Dates when p	oremium payable	On the stip	ulated due date in			

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए। Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म न. / Form No.:

कृते वरिष्ठ/मुख्य/शाखा प्रबंधक p. Chief/ Sr./ Branch Manager

एजेन्सी कोड	एजेन्सी का नाम	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर
Agency Code	Agency Name	Agent's Mobile Number/Landline Number

#### भाग-ब: परिभाषाएँ

- पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:
- 1. उम्र का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति की नज़दीकी जन्मदिन से है।
- 2. द्र्घटना हितलाभ प्रभार वह प्रभार है जो कि पॉलिसीधारक के फड से प्रत्येक पॉलिसी माह के आरंभ में एलआईसी के लिंक्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर, यदि उसे चुना गया हो, के अंतर्गत हितलाभ की लागत को आवरित करने के लिए उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके लिया जाता है।
- 3. दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर इस पॉलिसी दस्तावेज में उल्लिखित नियमों व शर्तों की शर्त 4 के अंतर्गत देय अतिरिक्त सुनिश्चित राशि है, अगर एलआईसी का लिंक्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर चुना गया हो।
- 4. नियुक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी) वह व्यक्ति है जिसके पास पॉलिसी के अंतर्गत दावे के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर उस राशि/हितलाभ को सुरक्षित रखा जाता है।
- 5. वार्षिकीकृत प्रीमियम एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है।
- 6. समनुदेशिती वह व्यक्ति है जिसे समनुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं।
- 7 समनुदेशन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अतर्गत ''समनुदेशिती'' के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है। 8. मूल बीमा राशि वह सुनिश्चित राशि है जो कि परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले मृत्यु
- पर देय होती है। 9. मूल प्लान पॉलिसी का वह भाग है जिसमें मूल हितलाभ का उल्लेख किया गया है (इस
- पॉलिसी दस्तावेज में राइडर के अंतर्गत सरक्षित हितलाभों को छोड़कर अन्य हितलाभ, अगर उन्हें चुना गया हो)
- 10. लाभार्थी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र है। लाभार्थी प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समनुदेशिती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
- 11. कामकाज का दिन से तात्पर्य निगम के कामकाज के दिन से है।
- 12. निगम का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
- 13. पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है। 14. जोखिम के आरंभ होने की तिथि वह तिथि है जब निगम बीमा हेतु पॉलिसी की तालिका के अनुसार जोखिम (संरक्षण) को स्वीकार कर लेता है।
- 15. पॉलिसी के स्थगित होने की तिथि वह तिथि है जब पॉलिसीधारक से पॉलिसी को स्थगित किए जाने या पॉलिसी को अभ्यर्पण किए जाने या 30 दिनों की नोटिस अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, सूचना प्राप्त होती है।
- 16. परिपक्वता की तिथि का अर्थ वह निश्चित तिथि है जब पॉलिसीधारक का फंड मूल्य, अगर कोई हो पर्णत: या आकस्मिक रूप से देय होता है।
- 17. निहित होने की तिथि वह तिथि जब पॉलिसी के हितलाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति हकदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 18. मृत्यु पर मिलने वाली रकम का अर्थ करार के आरभ के समय सहमत हितलाभ से है, जो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के ''भाग स'' की शर्त 2 में विनिर्धारित बीमित व्यक्ति की मत्य की
- दशा में देय है। 19. डिस्चार्ज फॉर्म पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत/परिपक्वता/अभ्यर्पण/मृत्यू पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है।
- 20. स्थगित होना पॉलिसी की वह अवस्था है जो कि पॉलिसी को अभ्यर्पित किए जाने या 30 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले देय संविदागत प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण उत्पन्न हो सकती है।
- 21. स्थगन प्रभार तब प्रभारित किया जाता है जब पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को स्थगित या अभ्यर्पित किया जाता है।
- 22. स्थगित पॉलिसी फड एक पृथक्कृत फड है जिसे अलग रखा जाता है तथा पॉलिसीधारकों की सभी स्थगित पॉलिसियों के फड मूल्य द्वारा स्थगन प्रभार को काटने के बाद, अगर कोई हो, बनाया जाता है।
- 23. देय तिथि का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब प्रीमियम देय तथा पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हो। 24. पृष्ठाकन से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों या आशोधनों को इस पॉलिसी
- में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
- 25. फ्री लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि इस पॉलिसी के नियमों तथा शतों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शतों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है।
- 26. फंड प्रबंधन शुल्क पॉलिसीधारक के फंड पर एसेट्स के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला शुल्क है, जिसे एनएवी से समायोजित करके काटा जाएगा। यह शुल्क एनएवी की गणना के समय लगाया जाएगा।
- 27. रियायती अवधि यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकर्ता द्वारा दिया गया भुगतान हेतु वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुमनि/विलम्ब शुल्क के भुगतान किया जा सकता है तथा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार पॉलिसी को जोखिम संरक्षण के साथ प्रभावी माना जाता है।
- 28. प्रभावी पॉलिसी की वह अवस्था है, जिसमें बीमित व्यक्ति पूरी मूल बीमा राशि के लिए संरक्षित रहता है।
- 29. आईआरडीएआई का अर्थ है इश्योरेन्स रेग्युलेटरी एड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इडिया। 30. बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण स्वीकार किया गया है।
- 31. लॉक-डन-अवधि का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से लगातार पांच पॉलिसी वर्षों की अवधि है, जिसके दौरान स्थगित पॉलिसियों की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ़ बीमित व्यक्ति की मृत्यु इसका अपवाद है।
- 32. परिपक्वता हितलाभ का अर्थ वह हितलाभ है जो कि परिपक्वता अर्थात इस पॉलिसी दस्तावेज के ''भाग स'' में उल्लिखित पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय है, अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक जीवित रहता है।
- 33. महत्त्वपूर्ण जानकारी वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित व्यक्ति को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव/पॉलिसी के बीमालेखन पर प्रभाव होता है।
- 34. अवयस्क या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
- 35. मर्त्युता शुल्क वह शुल्क है जो कि जीवन बीमा सरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक पॉलिसी माह के आरंभ में लिया जाता है।
- 36. नामाकन किसी व्यक्ति को 'नामित' करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठाकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। नामाकन, समय–समय पर यथा संशोधित बीमाँ अधिनियम 1938 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।
- 37. नामित वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की पॉलिसी की परिपक्वता से पूर्व मृत्यु की दशा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से डिस्चार्ज करने का अधिकार रखता है।
- 38. चुकता बीमा राशि पॉलिसी के नियमों और शतौं के अनुसार मूल बीमा राशि\* (भुगतान केए गए प्रीमियमों की संख्या/पॉलिसी अवधि के दौरान देय प्रीमियमों की संख्या) के समान होती है।
- 39 आशिक निकासी यह पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार पॉलिसीधारकों को पॉलिसीधारक के फंड से युनिटस को निकालने का उपलब्ध विकल्प है।

#### PART - B: DEFINITIONS

- The definitions of terms/words used in the policy documents are as under: 1. Age is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the policy.
- 2. Accident Benefit Charge is the charge levied at the beginning of each policy month from the Policyholder's Fund by cancelling appropriate number of units to cover the cost of benefit under LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider, if opted for
- 3. Accident Benefit Sum Assured is an additional assured amount pavable on death of the Life Assured due to accident subject to the terms and conditions specified in Condition 4 of Part C of this policy document, if LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider is opted for.
- 4. Appointee is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
- 5. Annualized Premium is the total amount of premium payable in a policy year 6. Assignee is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
- 7. Assignment is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with provision of Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- 8. Basic Sum Assured is the assured amount payable on death before the stipulated Date of Maturity.
- 9. Basic Plan is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referre in this policy document excluding benefits covered under Rider(s), if opted for).
- 10. Beneficiary means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be
- 11. Business Day is the Corporation's working day.
- 12. Corporation means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act. 1956.
  - 13. Date of commencement of policy is the start date of this Policy. 14. Date of commencement of risk is the date on which the Corporation accepts
  - the risk for insurance cover as evidenced in the schedule of the policy. 15. Date of Discontinuance is the date on which the intimation is received from the
  - Policyholder about discontinuance of the policy or surrender of the policy or on the expiry of the notice period of 30 days, whichever is earlier.
  - 16. Date of Maturity means a fixed date on which Policyholder's Fund Value, if any, may become payable either absolutely or contingently.
  - 17. Date of vesting is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document.
  - 18. Death Benefit means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death as specified in Condition 2 of the Part C of this Policy document.
  - 19. Discharge form is the form to be filled by Policyholder/claimant to claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
  - 20. Discontinuance is the state of the policy that could arise on account of surrender of the policy or non payment of due contractual premium before the expiry of the notice period of 30 days.
  - 21. Discontinuance Charge is the charge levied when the policy is Discontinued or Surrendered during the term of the policy.
  - 22. Discontinued Policy Fund is the segregated fund that is set aside and is constituted by the Policyholder's Fund Value of all the discontinued policies after deduction of Discontinuance Charge, if any.
  - 23. Due Date means a fixed date on which the premium is due and payable by the Policyholder.
  - 24. Endorsement means Conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporat
  - 25. Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
  - 26. Fund Management Charge is the charge levied as a percentage of the value of assets with Policyholder's Fund and shall be appropriated by adjusting NAV. This is a charge levied at the time of computation of NAV.
  - 27. Grace Period is the time granted from the due date for the payment of premium, without any penalty/ late fee, during which time the policy is considered to be inforce with insurance cover without any interruption as per the terms and conditions of the policy.
  - 28. Inforce is the state of policy in which the Life Assured is covered for full Basic Sum Assured.
  - 29. IRDAI means Insurance Regulatory and Development Authority of India. 30. Life Assured is the person on whose life the insurance cover has been taken.
  - 31. Lock-in-period means the period of five consecutive policy years from the date of commencement of the policy, during which period the proceeds of the discontinued policies can not be paid, except in case of death of the Life Assured
  - 32. Maturity Benefit means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in Part C of this Policy Document, on Life Assured surviving upto the stipulated Date of Maturity.
  - 33. Material information is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal / Policy submitted.
  - 34. Minor is a person who has not completed 18 years of age
  - 35. Mortality Charge is the charge levied at the beginning of each policy month for providing the life insurance cover.
  - 36. Nomination is the process of nominating a person in the proposal form or subsequently included/changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provision of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended
  - 37. Nominee is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Life Assured.
  - 38. Paid-up Sum Assured is equal to the Basic Sum Assured \* (number of premiums paid / number of premiums payable during the Policy Term) as per terms and conditions of the policy.
  - 39. Partial Withdrawal is an option available to the Policyholder to withdraw units from the Policyholders' Fund as per terms and conditions of the policy.

40. पॉलिसी प्रशासन शुल्क वह शुल्क है जो प्रत्येक पॉलिसी माह के आरंभ में पॉलिसीधारक के फड से उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके लिया जाता है।

40. Policy Administration Charge is a charge that shall be levied at the beginning each policy month by cancelling appropriate number of units out

41. Policy Anniversary means one year from the date of commencement of

42. Policy/ Policy Document means this document along with endorsements, if

44. Policyholder's Fund Value means the total value of units at a point of time in

45. Policy Month is the period from the Date of Commencement of policy, to the date

a segregated fund i.e. total number of units under this policy multiplied by Net

prior to the corresponding date in the following calendar month or similar periods

If the said corresponding date is not available in a calendar month, then the last

during which the contractual benefits are payable as per the terms and conditions

46. Policy Term is the period, in years, from the Date of commencement of policy

47. Policy Year is the period between two consecutive policy anniversaries. This

48. Premium is the contractual amount payable by the Policyholder at specified

49. Premium Allocation Charge is the percentage of premium appropriated

50. Proof of continued insurability is the information sought from the Policyholder

52. Revival of a policy means restoration of the policy, which was discontinued

to decide revival of the policy. This includes Form of declaration of Good Health,

due to the non-payment of premium, upon the receipt of all the premiums due

and other charges/late fee, if any, as per the terms and conditions of the policy

and upon the Corporation being satisfied as to the continued insurability of the

insured on the basis of the information, documents and reports furnished by the

Policyholder, in accordance with the then existing underwriting guidelines of the

discontinuance of the policy or upto date of maturity, whichever is earlier,

during which period the Policyholder is entitled to revive the policy which was

53. Revival Period is the period of two consecutive years from the date of

54. Rider is an add-on benefit in addition to basic benefits as specified under this

56. Settlement Option is the option to receive the maturity proceeds in instalments

57. Sum at Risk is the amount on which Mortality Charge is calculated depending

In case of Inforce policy status, this is the difference between Basic Sum Assured

In case of Paid-up policy status, this is the difference between Paid-up Sum

59. Switching is the process of moving the entire Policyholder's Fund from one

60. Switching Charge is the charge levied on switching of monies from one Fund to

61. Underwriting is the term used to describe the process of assessing risk and

62. Units are identical subsets of the fund's assets as the fund is divided into a

63. UIN means the Unique Identification Number allotted to this plan by Insurance

1. Maturity Benefit: On the Life Assured surviving to the end of the selected policy

term, an amount equal to the Policyholder's Fund value shall become payable. The maturity benefit can be payable either as a lumpsum amount on maturity or

in equal instalments if settlement option is opted for as mentioned in Condition 6

On death before the Date of Commencement of Risk: An amount equal to the

On death after the Date of Commencement of Risk: An amount equal to the

higher of Basic Sum Assured or Policyholder's Fund Value shall be payable

Where, Basic Sum Assured is (10 \* Annualized Premium) or (105% of the total

In case the age at entry of the Life Assured is less than 8 years, the risk under this plan will commence either one day before the completion of 2 years from

the date of commencement of policy or one day before the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 8 years of age,

In case the age at entry of Life Assured is 8 years or more, risk will commence

The liability shall be booked immediately on the date of receipt of intimation of

years on the date of commencement of policy): If the policy is inforce and the

Life Assured is alive on the vesting date and if a request in writing for surrendering the policy has not been received by Corporation before such vesting date from

the person entitled to the policy moneys, this policy shall automatically vest in

3. Date of Vesting (Applicable only if the age of the Life Assured is below 18

2. Death Benefit: On death of the Life Assured before the stipulated Date of

ensuring that the cost of the insurance cover is proportionate to the risks faced

by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance

or rejection of insurance cover as well as applicability of suitable premium or

58. Surrender means complete withdrawal / termination of the entire policy.

segregated Fund to any other segregated Fund available.

55. Schedule is the part of policy document that gives the details of your policy.

times periodically as mentioned in the Schedule of this Policy Document to

period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.

day of the calendar month will be taken for this purpose.

thereafter beginning from the dates in any calendar month corresponding to the

any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder

the Policy and the same date falling each one year thereafter, till the date of

Policyholder's Fund.

and the Corporation.

of the policy.

Corporation.

Policy.

another

spread over a chosen period.

and Policyholder's Fund Value

modified terms, if any, is taken,

Regulatory Development Authority of India.

Maturity provided policy is inforce, then,

Policyholder's Fund Value shall be payable.

premiums paid), whichever is higher.

Date of Commencement of Risk

whichever is earlier.

death with death certificate.

immediately.

number of equal units.

PART - C: BENEFITS

of Part D.

Assured and Policyholder's Fund Value.

upon status of the policy

43. Policyholder is the legal owner of this policy.

Asset Value (NAV) in that fund.

Date of Commencement of policy.

secure the benefits under the policy.

Medical Reports, Special Reports, etc.

towards charges from the premium received.

51. Proposer is a person who proposes the life insurance proposal.

discontinued due to the non-payment of premium(s).

maturity

- 41 पॉलिसी वर्षगाठ का अर्थ पॉलिसी के आरम होने की तिथि से एक वर्ष तथा उसके बाद परिपक्वता तक एक वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक तिथि से है।
- 42. पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधारक तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है। 43. पॉलिसीधारक इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
- 44. पॉलिसीधारक का फड मूल्य का अर्थ है पृथक्कृत फड में किसी समय यूनिट्स का कुल मूल्य अर्थात इस पॉलिसी के अंतर्गत यूनिट्स की कुल संख्या का उस फंड में नेट एसेट मूल्य (एनएवी) से गुणनफल।
- 45. पॉलिसी माह पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से अगले कैलेन्डर माह की उसी तिथि तक की अवधि या उसके बाद की समान अवधियां जो कि पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से शुरू होकर अगले कैलेन्डर माह की समान तिथि तक की हो।
- 46. पॉलिसी अवधि वर्षों में पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से वह अवधि है. जब पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार संविदागत हितलाभ देय होते हैं।
- 47. पॉलिसी वर्ष दो लगातार पॉलिसी वर्षगाठों के बीच की अवधि है। इस अवधि में पहला वर्षगांठ का दिन शामिल है तथा अगला पॉलिसी वर्षगांठ दिन शामिल नहीं है।
- 48. प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्धारित समयों पर आवधिक रूप से पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली संविदागत राशि है।
- 49. प्रीमियम आबटन शुल्क प्रीमियम का वह प्रतिशत है जिसे प्राप्त प्रीमियम से शुल्कों के लिए काटा जाता है।
- 50. निरन्तर बीमा योग्यता का प्रमाण यह पॉलिसीधारक से मांगी जानेवाली जानकारी है ताकि पॉलिसी के पुनः प्रचालन का निर्णय लिया जा सके। इसमें उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा, मेडिकल रिपोर्ट्स, विशेष रिपोर्ट्स आदि का समावेश है।
- 51. प्रस्तावक वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है।
- 52. पुनः प्रचालन का अर्थ प्रीमियम का भुगतान न किए जानेवाली पॉलिसी को, सभी देय प्रीमियमों तथा अन्य प्रभारों/विलम्ब शुल्क, अगर कोई हो, पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार प्राप्त होने तथा पॉलिसीधारक द्वारा मौजूदा बीमालेखन दिशानिर्देशों के अनुसार पेश की गई जानकारी, कागजातों तथा रिपोर्ट्स के आधार पर बीमाधारक की निरन्तर बीमायोग्यता के बारे में संतुष्ट होने पर बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी को पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेख किए गए समस्त हितलाभों को फिर से चालू किए जाने से है।
- 53. पुन: प्रचालन अवधि इसका अर्थ पॉलिसी के अप्रभावी होने की तिथि से लगातार दो वर्षों की अवधि से है, जिस अवधि के दौरान पॉलिसीधारक पॉलिसी को पुनः प्रचालित करने का पात्र है, जिसे प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण अप्रभावी कर दिया गया हो।
- 54. राइडर इस पॉलिसी के अंतर्गत विनिर्धारित किए गए अनुसार मूल हितलाभों के साथ जोड़ा गया एक मूल्यवर्द्धित हितलाभ है।
- 55. अनुसूची आपके पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजद है।
- 56. निपटान विकल्प एक चुनी हुई अवधि के दौरान किस्तों में परिपक्वता राशि को प्राप्त करने का विकल्प है।
- 57. जोखिमगत राशि वह रकम है जिस पर पॉलिसी की स्थिति के अनुसार मॉर्टेलिटी शुल्क की गणना की जाती है।
- प्रभावी पॉलिसियों के मामले में, यह मूल बीमा राशि और पॉलिसीधारक के फंड मूल्य के बीच का अंतर है।
- चुकता पॉलिसियों के मामले में, यह चुकता बीमा राशि और पॉलिसीधारक के फंड मूल्य के बीच का अंतर है।
- 58. अभ्यर्पण का अर्थ पूरी पॉलिसी को परिपक्वता से पहले प्रत्याहरण/समाप्त करना है।
- 59. स्विच करना पॉलिसीधारक के पूरे फड को एक पृथक्कृत फड से किसी दूसरे उपलब्ध फड में ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं।
- 60. स्विच करने का शुल्क धनराशी को एक फड से दुसरे फड में स्विच करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। 61. बीमालेखन शब्द का उपयोग जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों का सामना

केंया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक लागत है। बीमालेखन के आधार

पर सरक्षण की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तों को लागू

62. यूनिट्स फंड के एसेट्स के एक समान उपसमूह हैं, फंड को एक समान यूनिट्स की

63. UIN का अर्थ इस प्लान को आईआरडीएआई दारा आबंटित यनीक आइडेन्टिफिकेशन

1 परिपक्वता हितलाभः बीमित व्यक्ति के चुनी गई पॉलिसी अवधि के अत तक जीवित रहने

2. मृत्यु हितलाभः परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर,

पर, पॉलिसीधारक के फंड मूल्य के समान राशि देय होगी। परिपक्वता हितलाभ का भुगतान

एकमुश्त राशि के रूप में या अगर भाग द की शर्त में उल्लेख किए गए अनुसार निपटान

जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले मृत्यु होने पर: पॉलिसीधारक के फंड मूल्य के

जोखिम के आरम होने की तिथि के बाद मृत्यु होने पर: मूल बीमा राशि या पॉलिसीधारक

के फंड मूल्य में से जो भी राशि अधिक हो उसका भूगतान किया जाएगा। जहां मूल बीमा

राशि (10\* वार्षिकीकृत प्रीमियम) या (कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों का 105%) में से

बीमित व्यक्ति के 8 वर्ष से कम उम्र में प्रवेश करने की स्थिति में, इस प्लान के अंतर्गत

जोखिम की शुरूआत या तो पॉलिसी के शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष पूरे होने से एक

दिन पहले या 8 वर्ष की उम्र पूरे होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ या उसके

जो 8 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के हों, उनके लिए जोखिम की शुरूआत तुरन्त होगी।

3. निहित होने की तिथि (केवल तभी लागू अगर पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि को बीमित

मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मिलने पर दायिता को तुरन्त बुक किया जाएगा।

व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो): अगर पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो तथा निहित

होने की तिथि तक बीमित व्यक्ति जीवित हो और इस निहित होने की तिथि से पहले

पॉलिसी की धनराशि हेतु पात्र व्यक्ति से पॉलिसी को अभ्यर्पण करने के लिए लिखित में

तुरन्त बाद पडने वाली पॉलिसी वर्षागांठ से दिन पूर्व, जो भी पहले हो से होगी।

किए जाने, अगर कोई हो, के संबंध में फैसला लिया जाता है।

विकल्प चुना गया हो तो समान किस्तों में किया जा सकता है।

संख्याओं में विभाजित किया जाता है।

बशतें पॉलिसी प्रभावी हो, तब,

समान राशि का भुगतान किया जाएगा।

जो भी अधिक हो, के समान है।

जोखिम के आरंभ होने की तिथि

नंबर है।

भाग – स: हितलाभ

अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो निहित होने की इस तिथि को अर्थात 18 वर्ष की उम्र पूरी होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ को या उसके तुस्त बाद पॉलिसी बीमित व्यक्ति को स्वतः निहित हो जाएगी और इस प्रकार निहित होने को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीमित व्यक्ति को पॉलिसी का सम्पूर्ण मालिक माना जाएगा तथा प्रस्तावक या उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या अधिकार नहीं होगा।

4. राइडर हितलाभ:

#### एलआईसी का लिंक्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर (UIN: 512A211V01): इस पॉलिसी के प्रयोजन हेतु दुर्घटना को ''बाह्य हिंसक तथा दृश्य माध्यमों से अचानक, अनपेक्षित और अनैच्छिक रूप से होने वाली घटना'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

अगर एलआईसी का लिंग्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाम राइडर चुना गया है और पॉलिसी के पूर्ण मूल बीमा राशि के लिए प्रभावी रहने के दौरान किसी समय बीमित व्यक्ति दुर्घटनाप्रस्त होता है तथा इसके एकमात्र, प्रत्यक्ष एवं अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र रूप से घटित होने के कारण जख्मी व्यक्ति इसके 180 दिनों के अंदर मर जाता है तथा यह निगम के लिए प्रमाणित रुप से सही पाने पर होता है तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटनात्मक हितलाभ बीमा राशि के समान अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है। बहरहाल, पॉलिसी दुर्घटना के समय प्रभावी होनी चाहिए, जो कि इस बात से असम्बद्ध है कि मृत्य के समय पॉलिसी प्रभावी हो या न हो।

पूर राइडर पॉलिसी के अंतर्गत अवयस्कों के जीवन पर उनकी अवयस्कता के दौरान उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद पॉलिसी वर्षगांठ से उपलब्ध होगा, आर इस हेतु विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तथा इसे निगम के बीमालेखन नियमों के अनुसार उपयुक्त पाया जाता है।

उपरोक्त उल्लेख के अधीन, प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, एलआईसी के लिंकड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर को पॉलिसी के अंतर्गत कभी भी चुना जा सकता है, बशतें पॉलिसी की पूरी होने की कम से कम 5 वर्ष की अवधि शेष हो, दुर्घटना हितलाभ संरक्षण परिपक्वता की तिथि तक उपलब्ध होगा, बशतें दुर्घटना की तिथि को पॉलिसी प्रभावी हो।

अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ शुल्क, जिसका उल्लेख भाग य की शर्त 3 (iii) में किया गया है। इस हितलाभ को प्रदान करने के लिए पॉलिसी अवधि के दौरान काटा जाएगा, जब तक कि पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार पॉलिसी प्रभावी रहती है।

प्रभावी मूल पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसीधारक के पास पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय इस राइडर को समाप्त करने का विकल्प है। लेकिन एक बार इस राइडर को रद्द किए जाने के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान फिर से नहीं लिया जा सकता है।

अगर मूल पॉलिसी प्रभावी न हो, तो यह दुर्घटना हितलाभ संरक्षण समाप्त हो जाएगा तथा इस राइडर के लिए पुनः कोई शुल्क नहीं काटा जाएगा। हालांकि पुनः प्रचालन अवधि के दौरान मूल पॉलिसी के साथ राइडर को भी फिर से चालू कराया जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ उसे नहीं।

अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के आरंभ में चुनी गई मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगी। सभी पॉलिसियों के अंतर्गत जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम से उसी व्यक्ति के जीवन पर जिस पर निम्नलिखित हितलाम लागू हो। व्यक्तिगत पॉलिसियों तथा समूह पॉलिसियों के अंतर्गत अंतर्निहित दुर्घटना हितलाम किसी भी घटना के लिए ₹100 लाख की दुर्घटना हितलाम बीमा राशि से अधिक नहीं होगा। अगर एक से अधिक पॉलिसियां हों तथा कुल दुर्घटना हितलाम बीमा राशि ₹100 लाख से अधिक हो तो पॉलिसियों को जारी करने की तिथि के क्रम से प्रथम ₹100 लाख की दुर्घटना हितलाम बीमा राशि लागू होगी।

अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु निम्न कारणों से हो, तो निगम द्वारा ऊपर उल्लेख की गई अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- i) जानबूझकर खुद को जख्मी करना, आत्महत्या की कोशिश, मानसिक रूप से अस्वस्थता या व्याभिचार या बीमित व्यक्ति नशे या मादक द्रव, ड्रग या नाकोंटिक के प्रभाव में हो (अगर डॉक्टर द्वारा उपचार के अंतर्गत प्रेस्क्राइब न किया गया हो); या
- ii) दंगे, जन विद्रोह, बगावत, युद्ध (चाहें घोषित किया गया हो या नहीं), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेजिंग, किसी प्रकार की रेस, पैराग्लायडिंग या पैराशूटिंग, एडवेन्चर्स स्पोर्टस में भाग लेना: या
- iii) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक इरादे के साथ कोई आपराधिक कार्य करना; या
- iv) (अ) बीमित व्यक्ति के सशस्त्र बल या सैन्य सेवा में रोजगार के कारण उत्पन्न यह अपवर्जन उस समय लागू नहीं है अगर बीमित व्यक्ति उस समय दुर्घटनाग्रस्त होता है जब वह ड्यूटी पर नहीं था या हमारे देश में किसी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते समय किसी राहत कार्य में शामिल था।
- (ब) अर्द्धसैनिक बल को छोड़कर किसी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में शामिल होने के कारण (जिसमें प्रशासनिक कार्यभार शामिल नहीं है)। यह अपवर्जन तब लागू नहीं है जब पुलिस ड्यूटी में शामिल होने के कारण दुर्घटना के लिए दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाम संरक्षण के विकल्प को चुना गया हो; या

v) बीमित व्यक्ति की दूर्घटना की तिथि से 180 दिनों के बाद घटित होना।

5. रियायती अवधि: वार्षिक या छमाही या तिमाही प्रीमियमों के लिए 30 दिनों और मासिक (ईसीएस के जरिए) प्रीमियमों के लिए 15 दिनों की रियायती अवधि दी जाएगी। अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु रियायती अवधि के दौरान लेकिन तब देय प्रीमियम के भुगतान से पहले हो जाती है तो पॉलिसी मान्य रहेगी तथा हितलाभों का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर मृत्यु की तिथि तक देय किन्हीं बकाया प्रीमियम्स का भुगतान नहीं किया गया है। वो

अगर पृष्यु को तराय तक दय किन्दा बकावा प्रानयन्त को जुनतान नहा किया गया हो वा भाग द के अंतर्गत प्रीमियमों का स्थगन के अंतर्गत शर्त 2 (ब) में दिए गए अनुसार हितलाभों का भुगतान किया जाएगा।

## भाग – द: सेवा प्रदान करने के पहलू से संबंधित शर्तें

1. उम्र का प्रमाण:

मॉर्टेलिटी शुल्क की गणना प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित की गई बीमित व्यक्ति की उम्र के आधार पर की गई है, अगर उम्र को बाद में इस उम्र से अधिक पाया जाता है तो निगम के अन्य अधिकारों व उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उनके सहित जो बीमा अधिनियम 1938 में शामिल हैं, मॉर्टेलिटी शुल्क को प्रवेश के समय सही उम्र के लिए पॉलिसी की स्थिति के अनुसार जोखिमगण राशि पर परिकालित किया जाएगा, तथा निगम द्वारा पॉलिसीधारक के फंड मूल्य से उपयुक्त संख्या में यूनिट्स को रद्द करके इसे काटा जाएगा, पॉलिसी आरंभ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही उम्र के लिए प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि, कटौती के समय प्रचालित दर पर ब्याज के साथ प्रभावी होगी।

अगर बीमित व्यक्ति की उम्र को कम पाया जाता है, तो पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान प्रस्ताव में घोषित की गई उम्र को शुल्कों की गणना के लिए सही उम्र माना जाएगा। बशतैं प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही उम्र ऐसी हो जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग अथवा शर्तों के अधीन उसे बीमा के लिए अयोग्य बना दे तो उसको पॉलिसीघारक के फंड मूल्य को लौटा दिया जाएगा और पॉलिसी को समाप्त कर दिया जापगा

## 2 गैर-जब्ती संबंधी कानून:

अ. अभ्यर्पण: अगर सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और पॉलिसी को सरेन्डर किया जाता है तो अभ्यर्पण मूल्य, अगर कोई हो, का भुगतान निम्नप्रकार से किया जाएगा: the Life Assured on such vesting date i.e. on the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 18 years of age and shall on such vesting be deemed to be a contract between the Corporation and the Life Assured. The Life Assured shall become the absolute owner of the policy and the proposer or his estate shall cease to have any right or interest therein.
A Rider Renefits:

LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider (UIN: 512A211V01):

An Accident for the purpose of this policy is defined as "An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."

If LIC's Linked Accidental Death Benefit rider is opted for, and if the Life Assured is involved in an accident at any time when this Policy is inforce for the full Basic Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in death of the Life Assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees to pay an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured under this policy. However, the policy shall have to be inforce at the time of accident irrespective of whether or not it is inforce at the time of death.

This rider will not be available under the policy on the life of minors, during minority. However, this rider will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request, if found eligible as per the underwriting rules of the Corporation.

Subject to as stated above, under an inforce policy, the LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider can be opted for at any time within the policy term subject to minimum outstanding policy term of 5 years. Wherever this rider has been opted for under the policy, the Accident Benefit cover will be available till the Date of Maturity, provided the Policy is inforce as on date of accident.

Whenever this Rider is opted for, the Accident Benefit Charges, as specified in Condition 3.(iii) of Part E, for providing this benefit will be deducted during the policy term, as long as the policy is inforce as per terms and conditions of the policy.

Under an inforce basic policy, the Policyholder has the option to cancel this rider at any time during the policy term. However, once the rider is cancelled, it can't be re-opted during the policy term.

In case the basic policy is not inforce, this Accident Benefit cover shall terminate and no further charges for this rider shall be deducted. However, the rider may be revived along with the basic policy during the revival period but not in isolation.

The maximum Accident Benefit Sum Assured shall not exceed the Basic Sum Assured chosen by the Policyholder on commencement of the policy. The maximum aggregate limit of Accident Benefit Sum Assured under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs.100 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

The Corporation shall not be liable to pay the additional sum referred above, if the death of the Life Assured shall:

- be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, drug or narcotic (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or
- (ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or
- (iii) result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or
- (iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country.
- (b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or
- (v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

5. Grace period: A grace period of 30 days will be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly (through ECS) premiums. If the death of Life Assured occurs within the grace period but before the payment of premium then due, the policy will still be valid and the death benefits shall be paid.

If the premium is not paid before the expiry of the Grace Period, the benefits shall be paid as per details given in Condition 2 (B) of Part D under Discontinuance of premiums.

#### PART – D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS 1. Proof of Age:

The Mortality Charge having been calculated based on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the Mortality Charge shall be deductible in such case at the rate calculated on the respective Sum at Risk as per the status of the policy for the correct age at entry, and the Corporation shall deduct by canceling appropriate number of units out of Policy/holder's Fund Value, the accumulated difference between these charges for the correct age and the charges as reckoned from the commencement of the Policy up to the date of such payment with interest at such rate as may be prevailing at the time of deduction.

In case the age of the Life Assured is found to be lower, the age declared in the proposal shall be treated as the correct age for calculation of all the charges through out the term of the policy.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/ her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the Policyholder's Fund Value shall be refunded and the policy shall be terminated.

- 2. Non-forfeiture Regulations:
- A. <u>Surrender</u>: If all due premium have been paid and the policy is surrendered, the surrender value, if any, is payable as under:

i) अगर पॉलिसी को 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि को समाप्त होने पर या उससे पहले अभ्यर्पण किया जाता है:

आर कोई पॉलिसीधारक 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि को पूरा होने पर या उससे पहले अभ्यर्पण करने के लिए आवेदन करता है, तो भाग य की शर्त 3 (iv). द) में उल्लिखित अनुसार स्थागित करने का शुल्क काटकर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे शर्त स में उल्लिखित अनुसार मोद्रिक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस मौद्रिक राशि को नीचे शर्त द में उल्लिखित स्थगित पॉलिसी फंड में अंतरित कर दिया जाएगा। श्वभीत पॉलिसी फंड की राशि का, जिसका उल्लेख नीचे शर्त य में किया गया है, 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के पूर्ण होने पर भुगतान किया जाएगा।

अगर बीमित यावित की मृत्यु अभ्यर्पण करने की तिथि के बाद लेकिन 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि की समाप्ति से पहले हो जाती है तो स्थगित पॉलिसी की राशि का भुगतान उसके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को तुरन्त कर दिया जाएगा।

- ii) अगर पॉलिसी को 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के समाप्त होने के बाद सरेन्डर किया जाता है: अगर पॉलिसी की 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के समाप्त होने के बाद पॉलिसीधारक उसे अभ्यर्पण करने के लिए आवेदन करता है तो अभ्यर्पण की तिथि को पॉलिसीधारक का फंड मूल्य देय होगा।
- ब. <u>प्रीमियमों का भुगतान बद करना:</u> अगर रियायती अवधि के अंदर पॉलिसी के प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रियायती अवधि के समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि में पॉलिसीधारक को एक नोटिस भेजकर कहा जाएगा कि वह इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर किसी एक विकल्प का उपयोग करे।

नोटिस मिलने से 30 दिनों की समाप्ति तक, पॉलिसी को प्रभावी माना जाएगा तथा मॉर्टेलिटी और दूर्यटना हितलाम संरक्षण, यदि हों, के लिए शुल्कों को, भाग या की शर्त 3 (iV) में उल्लिखित अन्य शुल्कों के साथ काटा जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक के फंड से उपयुक्त संख्या में यूनिट्स को रद्द करके लिए जाएंगे। पॉलिसी के स्थगित होने की तिथि तक बीमा संरक्षण जारी रहेगा।

सूचना मिलने से 30 दिनों की समाप्ति तक पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ प्रभावी पॉलिसी के समान रहेंगे, लेकिन अगर सभी देय प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया गया हो तो आंशिक निकासी की अनुमति नहीं होगी। नोटिस अवधि के दौरान उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत पॉलिसी पर निम्न अनुसार

नाटिस अवाध के दोरान उपलब्ध विभिन्न विकल्पा के अतगत पालिसा पर निम्न अनुस व्यवहार किया जाएगा:

 अगर 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले पॉलिसी को स्थगित किया जाता है:

ऐसे नोटिस के मिलने से तीस दिनों के अंदर पॉलिसी का निम्नलिखित में से किसी विकल्प पर अमल करना होगा।

विकल्प	विवरण			
1	नोटिस अवधि के दौरान देय प्रीमियम/मों का भुगतान करे			
2	पुनः प्रचालन अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को पुनः प्रचालित करे			
3	बिना किसी बीमा संरक्षण के पॉलिसी से पूरी तरह निकल जाए, या			
कोई विकल्प लॉक–इन–अवधि या 2 वर्ष की पुनः प्रचालन अवधि के नहीं चुना अंत में, जो भी बाद में हो धनराशि का भुगतान				
i) अगर पॉलिसीधारक विकल्प (1) पर अमल करता है अर्थात नोटिस अवधि				

 अगर पालिसाधारक विकल्प (1) पर अगल करता ह अर्थात नाटस अवाध क दौरान देय प्रीमियम/मां का मुगतान करता है तो पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभ पॉलिसी के नियमों व शर्तें के अनुसार जारी रहेंगे।

ii) अगर पॉलिसीधारक विकल्प (2) पर अमल करता है अर्थात पुन: प्रचालन अवधि के दौरान किसी समय पॉलिसी को पुन: प्रचालित करता है तो भाग य की शर्त 3 (iv). द) में उल्लेख किए गए अनुसार पॉलिसी को स्थगित किए जाने के शुल्क को काटकर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे शर्त स में उल्लेख किए गए अनुसार एक मौद्रिक राशि में परिवर्तित किया जाएगा। इस मौद्रिक राशि को नीचे शर्त द में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित पॉलिसी फंड को अंतरित किया जाएगा। अगर पॉलिसीधारक द्वारा 2 वर्षों की पुन: प्रचालन अवधि के दौरान पुन: प्रचालित कराया जाता है तो पॉलिसी को नीचे दी गई शर्त 3 में उल्लेख किए गए अनुसार

कराया जाता हू ता पालिसों को नोच दो गई शत 3 म उल्लख किए गए अनुसार पुनः प्रचालित किया जाएगा। अगर पॉलिसीधारक द्वारा पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित नहीं किया जाता है, तो पुनः प्रचालन अवधि के समाप्त होने या 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के पूरा होने पर, जो भी बाद में हो, पॉलिसी को समाप्त कर दिया

जाएगा तथा नीचे शर्त य में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित पॉलिसी फंड की राशि देय होगी। iii) अगर पॉलिसीधारक द्वारा विकल्प (3) पर अमल किया जाता है अर्थात सूचना

- (1) अगर भालसायारफ द्वारा वियल्प (3) पर अभव किया जाता ह अयात सूचमा मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंदर, पॉलिसी से पूरी तरह निकल जाता है तो भाग य की शर्त 3.(iv).द.) में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित किए जाने के शुल्क को काटकर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे शर्त स में उल्लिखित अनुसार मौद्रिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस मौद्रिक राशि को नीचे शर्त द में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित पॉलिसी फंड को अंतरित कर दिया जाएगा। स्थगित पॉलिसी फंड की राशि, नीचे शर्त य में उल्लेख किए गए अनुसार 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के पूरा होने के बाद देय होगी।
- iv) अगर पॉलिसीधारक द्वारा नोटिस मिलने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर किसी विकल्प पर अमल नहीं किया जाता है तो भाग य की शर्त 3.(iv).c.) में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित किए जाने के शुल्क को काटकर, पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे शर्त स में उल्लिखित अनुसार मौद्रिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस मौद्रिक राशि को नोचे शर्त द में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित किए जाने के शुल्क को काटकर, पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे शर्त स में उल्लिखित अनुसार मौद्रिक राशि को नोचे शर्त द में उल्लेख किए गए अनुसार स्थगित किए जाने के शुल्क को काटकर, पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे शर्त स में उल्लिखित अनुसार मौद्रिक राशि की राशि नोचे शर्त य में उल्लेख किए गए अनुसार रथगित कर दिया जाएगा। इस में उल्लेख किए गए अनुसार 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के पूरा होने के बाद देय होगी या पुनःप्रचलन अवधि की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, पर।
- उपरोक्त कहे गए के बावजूद, आर पॉलिसीधारक की मृत्यु पुन: प्रचालन अवधि या 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि जैसी भी स्थिति हो, के दौरान होती है, तो नीचे शर्त य में उल्लिखित अनुसार स्थगित पॉलिसी फंड की धनराशि का मुगतान तुरन्त देय होगा।
- II) अगर पॉलिसी को 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि की समाप्ति के बाद स्थागित किया जाता है: ऐसे नोटिस के मिलने से तीस दिनों के अंदर पॉलिसी का निम्नलिखित में से किसी विकल्प पर अमल करना होगा।

विकल्प	विवरण
1	नोटिस अवधि के दौरान देय प्रीमियम/मों का भुगतान करे
2	पुनः प्रचालन अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को
	पुनः प्रचालित करे
3	बिना किसी बीमा संरक्षण के पॉलिसी से
	पूरी तरह निकल जाए, या
4	पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में बदले या
कोई विकल्प	उपचार दिया जाएगा, जैसे कि विकल्प 3 चुना गया हो
नहीं चुना	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

 अगर पॉलिसीधारक विकल्प (1) पर अमल करता है अर्थात नोटिस अवधि के दौरान देय प्रीमियम/मों का भुगतान करता है तो पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध बीमा संरक्षण पॉलिसी के नियमों व शर्ते के अनुसार जारी रहेंगे।  If the policy is Surrendered on or before the expiry of the 5 years' lock-inperiod;

If a Policyholder applies for surrender of the policy on or before the expiry of the 5 years' lock-in-period, then the Policyholder's Fund Value after deducting the Discontinuance Charge as specified in Condition 3.(iv).d) of Part E shall be converted into monetary terms as specified in Condition C below. This monetary amount shall be transferred to the Discontinued Policy Fund as specified in Condition E below, shall be payable on completion of 5 years' lock-in-period.

In case of death of the Life Assured after the date of surrender but on or before the expiry of the 5 years' lock-in-period, the Proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be payable to the nominee/ legal heir immediately.

ii) If the policy is Surrendered after the expiry of 5 years' lock-in-period: If a Policyholder applies for surrender of the policy after the expiry of 5 years' lock-in-period, then the Policyholder's Fund Value as on the date of surrender shall be payable.

B. <u>Discontinuance of Premiums</u>: If premiums under the policy have not been paid within the Grace Period, a notice shall be sent to the Policyholder within a period of 15 days from the date of expiry of Grace Period to exercise one of the options within a period of 30 days of receipt of such notice.

Upto the expiry of 30 days of receipt of notice, the policy shall be treated as inforce and the charges for Mortality and Accident Benefit cover, if any, shall be taken, as usual, in addition to other charges as specified in Condition 3.(iv) of Part E, by cancelling appropriate number of units out of the Policyholder's Fund. Insurance cover shall continue till the date of discontinuance of the policy.

The benefits payable under the policy upto the expiry of 30 days of receipt of notice shall be same as that under an inforce policy, except Partial Withdrawal, which shall not be allowed if all due premiums have not been paid.

The treatment of policy under different options available during the notice period shall be as under:

 If the policy is discontinued on or before the expiry of the 5 years' lockin-period:

Policyholder has to exercise one of the following options within a period of thirty days of receipt of such notice.

Option	Description			
1	Pay the due premium(s) during the notice period			
2	Revive the policy at any time during the Revival Period			
3	Complete withdrawal from the policy without any insurance cover, or			
	Payout the proceeds at the end of lock-in-period or 2 years' revival period, whichever is later			
If Policyholder exercises Ontion (1) i.e. to pay the due premium(s) within				

If Policyholder exercises Option (1) i.e. to pay the due premium(s) within the notice period the benefits under the policy shall continue as per the terms and conditions of the policy.

ii) If Policyholder exercises Option (2) i.e. to revive the policy at any time during the Revival Period, then the Policyholder's Fund Value after deducting the Discontinuance Charge as specified in Condition 3.(iv).d) of Part E shall be converted into monetary amount as specified in Condition C below. This monetary amount shall be transferred to the Discontinued Policy Fund as specified in Condition D below.

In case the Policyholder revives the policy during the revival period of 2 years the policy shall be revived as specified in Condition 3 below. In case the Policyholder does not revive the policy during the Revival Period, then the policy shall be terminated on the expiry of the Revival

Period or on the completion of 5 years' lock-in-period, whichever is later and the proceeds of the Discontinued Policy Fund, as specified in Condition E below, shall be payable.

- iii) If Policyholder exercises Option (3) i.e. complete withdrawal from the policy within a period of 30 days of receipt of notice, then the Policyholder's Fund Value after deducting the Discontinuance Charge as specified in Condition 3.(iv).d) of Part E shall be converted into monetary terms as specified in Condition C below. This monetary amount shall be transferred to the Discontinued Policy Fund as specified in Condition D below. The Proceeds of the Discontinued Policy Fund, as specified in Condition E below, shall be payable on completion of 5 years' lock-inperiod.
- iv) If Policyholder does not exercise any option within the period of 30 days of receipt of notice, then the Policyholder's Fund Value after deducting the Discontinuance Charge as specified in Condition 3.(iv).d) of Part E shall be converted into monetary terms as specified in Condition C below. This monetary amount shall be transferred to the Discontinued Policy Fund as specified in Condition D below. The Proceeds of the Discontinued Policy Fund, as specified in Condition E below, shall be payable on completion of 5 years' lock-in-period or at the end of the revival period, whichever is later.

Irrespective of what is stated above, in case of death of the Policyholder during the Revival Period or 5 years' lock-in-period, as the case may be, the Proceeds of the Discontinued Policy Fund, as specified in Condition E below, shall be payable immediately.

#### II) If the policy is discontinued after the expiry of 5 years' lock-in- period: Policyholder has to exercise one of the following options available within a

period of thirty days of receipt of such notice.			
Option	Description		
1	Pay the due premium(s) within the notice period		
2	Revive the policy at any time during the Revival Period		
3	Complete withdrawal from the policy without any insurance cover		
4	Convert the policy into paid-up policy, or		
No option selected	Treatment will be as if Option 3 were selected		

 If Policyholder exercises Option (1) i.e. pays the due premium(s) within the notice period then the insurance cover under the policy shall continue as per the terms and conditions of the policy.

- ii) अगर पॉलिसीधारक विकल्प (2) पर अमल किया जाता है अर्थात पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित किया जाता है तो पॉलिसी के मूल नियमों तथा शतों के अनुसार पॉलिसी को बीमा संरक्षण के साथ प्रमावी माना जाएगा तथा भाग य की शर्त 3 में उल्लेख किए गए अनुसार शुल्क काटे जाते रहेंगे। अगर पॉलिसीधारक द्वारा पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित किया जाता है तो पॉलिसी नीचे दी गई शर्त 3 के अनुसार पुनः प्रचालित होगी। आगर पॉलिसीधारक द्वारा पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित नहीं किया जाता है, तो पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित नहीं किया जाता है, तो पुनः प्रचालन अवधि के समाप्त होने पर पॉलिसी को समाप्त कर दिया जाएगा तथा पॉलिसीधारक के फंड में बची राशि पॉलिसीधारक को लौटा दी जाएगी।
- iii) अगर पॉलिसीधारक द्वारा विकल्प (3) पर अमल किया जाता है अर्थात वह पॉलिसी से पूरी तरह निकल जाता है तो पूरी तरह से निकलने की सूचना की तिथि को पॉलिसी को समाप्त कर दिया जाएगा और पॉलिसीधारक को पॉलिसीधारक के फंड में बची राशि लौटा दी जाएगी।
- iv) अगर पॉलिसीधारक द्वारा विकल्प (4) पर अमल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी एक चुकता पॉलिसी का रूप ले लेगी और ऐसी पॉलिसी के साथ नीचे शर्त र में दिए गए अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
- v) अगर पॉलिसीधारक नोटिस मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंदर किसी विकल्प पर अमल नहीं करता है तो नोटिस अवधि की समाप्ति की तिधि पर पॉलिसी को समाप्त कर दिया जाएगा और पॉलिसीधारक को पॉलिसीधारक के फंड में बची राशि लौटा दी जाएगी।

## स. मौद्रिक राशि में परिवर्तन इस प्रकार किया जाएगा:

अभ्यर्पण के लिए आवेदन करने की तिथि या पॉलिसी को स्थागित करने की तिथि (5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि से पहले पॉलिसी को स्थागित किए जाने के मामले में), जैसी भी स्थिति हो, की एनएवी के, उस तिथि को पॉलिसीधारक के फंड (अर्थात स्थागित किए जाने के शुल्क को काटकर, अगर कोई हो) में यूनिट्स की संख्या से गुणनफल मॉट्रिक राशि तोगी

## द स्थगित पॉलिसी फड में मौद्रिक राशि को अतरित करना:

रूपर उल्लेख किए गए अनुसार गणना की गई मोंद्रिक राशि को यूनिट्स में बदल कर स्थगित पॉलिसी फंड को अंतरित किया जाएगा। स्थगित पॉलिसी फंड को अंतरित की गई यूनिट्स की संख्या, अंतरण की तिथि को मौद्रिक राशि के स्थगित पॉलिसी फंड के एनएवी से भागफल के समान होगी।

## य स्थगित पॉलिसी फड की धनराशि की गणना इस प्रकार की जाएगी:

स्थगित पॉलिसी फंड की धनराशि, स्थगित पॉलिसी फंड मूल्य या गारंटीड मौद्रिक राशि में से जो भी अधिक हो, के समान होगी। गारंटीड मौद्रिक धनराशि गारंटीड ब्याज दर पर स्थगित पॉलिसी फंड में अंतरित मौद्रिक राशि की जमा राशि है। गारंटीड ब्याज दर मौद्रिक राशि के स्थगित पॉलिसी फंड पर अंतरित होने की तिथि पॉलिसी के स्थगित पॉलिसी फंड से मृत्यु, सरेन्डर, पुन: प्रचालन, पूरी तरह निकलने या 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि की समाप्ति पर या पुन: प्रचालन अवधि के दो वर्ष पूर्ण होने पर (यदि पुन: प्रचालन अवधि 5 वर्षकी लॉक-इन-अवधि से अधिक विस्तृत होती है) जो भी लागू हो, तक अर्जित होगा।

इस समय गारंटीड ब्याज दर 4% वार्षिक है तथा यह समय–समय पर आईआरडीएआई द्वारा परिवर्तन के विषयाधीन होगा।

#### ल. पॉलिसी का चुकता पॉलिसि में परिवर्तित होना:

अगर पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में बदलने का विकल्प चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी चुकता पॉलिसी का रूप ले लेगी तथा उसके पश्चात कोई प्रीमियम देय नहीं होंगे। मूल बीमा राशि घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी, जिसे चुकता बीमा राशि कहा जाएगा तथा यह मूल बीमा राशि के उसी अनुपात में होगी जो अनुपात कुल देय प्रीमियमों के साथ अर्थात मूल बीमा राशि के साथ भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या का है \* (भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या/देय प्रीमियमों की संख्या जाखिम संसक्षा तथा अत. एव चुकता बीमा राशि के संबंध में मॉटेलिटी शुल्क अगले पॉलिसी माह से, पॉलिसी के चुकता पॉलिसी में परिवर्तन की सूचना दिए जाने के बाद से लागू होगा। साथ ही, भाग य की शर्त 3 में उल्लिखित सभी अन्य शुल्क भी काटे जाते रहेंगे।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसीधारक की मृत्यु की दशा में, चुकता बीमा राशि या पॉलिसीधारक फंड मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसका भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने या परिपक्वता के मामले में, अभ्यर्पण की तिथि/परिपक्वता की तिथि को पॉलिसीधारक के फंड मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी भी समय, पॉलिसीधारक के फंड मूल्य में शेष राशि, संबधित शुल्कों को वसूल

करने के लिए पर्याप्त न हो तो पॉलिसी को अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा और पॉलिसीधारक के फंड मूल्य में कोई राशि शेष हो तो उसे पॉलिसीधारक को लौटा दिया जाएगा।

#### चुकता पॉलिसी के अंतर्गत कोई दुर्घटना हितलाभ संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। र. अनिवार्य रूप से समाप्ति:

आर पॉलिसी कम से कम 5 वर्षों से चालू रही हो और 5 वर्षों के पूरे प्रीमियमों का मुगतान किया गया हो तथा पॉलिसीघारक के फंड में इतनी राशि शेष न हो कि संबंधित शुल्कों की वसूली हो सके तो पॉलिसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और पॉलिसीघारक के फंड में अगर कोई राशि बची हो तो उसे पॉलिसीघारक को लौटा दिया जाएगा। यह इस बात से असंबद्ध रहते हुए प्रमावी होगा कि पॉलिसी प्रभावी है या चुकता या पुन: प्रचालन अवधि के दौरान ऐसा हआ है।

## 3. स्थगित पॉलिसीयों का पुन: प्रचालन:

अगर रियायती अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त शर्त 2.ब. में उल्लिखित अनुसार पॉलिसीधारक को एक नोटिस भेजा जाएगा।

### अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के पुन: प्रचालन का विकल्प चुनता है: i) अगर 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के समाप्त होने से पहले प्रीमियम भरना स्थगित किया

गया है: अगर पॉलिसीधारक द्वारा पुन: प्रचालन अवधि के दौरान किसी समय पॉलिसी के पुन: प्रचालन के विकल्प पर अमल किया जाता है, तो नीचे भाग य की शर्त 3 (iv) द) में विनिर्धारित अनुसार स्थगित किए जाने के शुल्क को काटकर पॉलिसीधारक के फड मूल्य को उपरगेवत 2 स में विनिर्धारित अनुसार मौद्रिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस मौद्रिक राशि को स्थगित पॉलिसी फंड में हस्तांतरित किया जाएगा। अगर पॉलिसीधारक द्वारा पुन: प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुन: प्रचालन किया जाता है तो पॉलिसी निम्नतिखित के अधीन पुन: प्रचालित की जाएगी:

- अ. पुनः प्रचालन निरंतर बीमा योग्यता के प्रमाण साथ सभी बकाया प्रीमियमों का बिना ब्याज के भुगतान के अधीन होगा।
- ब. पॉलिसीधारक के फंड से काटा गया स्थगित करने का शुल्क, अगर कोई हो, स्थगित पॉलिसी फंड की धनराशि के साथ, फिर से पॉलिसीधारक के फंड में जोड़ दिया जाएगा।
- स. स्थगित किए जाने की तिथि से बकाया सभी लागू पॉलिसी प्रशासन शुल्क, प्रीमियम आबंटन शुल्क तथा सर्विस टैक्स शुल्क को पॉलिसीघारक के फंड से काटा जाएगा।
- द. पॉलिसीधारक द्वारा मूलत: खुने गए पृथवकृत की यूनिट्स या पिछली बार स्विच की गई या पुन: प्रचालन के समय चुने गए फंड की यूनिट्स को, जैसी भी स्थिति हो,

 If Policyholder exercises Option (2) i.e. revive the policy during the Revival Period, the policy shall be treated as inforce with insurance cover as per original terms and conditions of the policy and charges as specified in Condition 3 of Part E shall continue to be deducted. In case the Policyholder revives the policy during the Revival Period then

the policy shall be revived as specified in Condition 3 below. In case the Policyholder does not revive the policy during the Revival Period, then the policy shall be terminated on the completion of revival period and the balance amount in the Policyholder's Fund shall be refunded to the Policyholder.

- If Policyholder exercises Option (3) i.e. complete withdrawal from the policy, then the policy shall be terminated on the date of intimation for complete withdrawal and the balance amount in the Policyholder's Fund shall be refunded to the Policyholder.
- iv) If Policyholder exercises the option (4) i.e. convert the policy into paidup policy, then in such case the policy shall subsist as a paid-up policy and the treatment of such policy shall be as specified in Condition F below.
- v) If Policyholder does not exercise any of the options within the period of 30 days of receipt of notice, then the policy shall be terminated on the date of expiry of the notice period and the balance amount in the Policyholder's Fund shall be refunded to the Policyholder.
- C. Conversion of monetary amount shall be as under:

The NAV as on the date of application for surrender or as on the date of discontinuance of the policy (in case of discontinuance of the policy before the 5 years' lock in period), as the case may be, multiplied by the number of units in the Policyholder's Fund (i.e. after deduction of Discontinuance Charge, if any) as on that date, will be the monetary amount.

D. Transferring the monetary amount into the Discontinued Policy Fund:

The monetary amount calculated as above shall be transferred to the Discontinued Policy Fund by converting the monetary amount into the units. The number of units transferred to the Discontinued Policy Fund shall be the monetary amount divided by the NAV of the Discontinued Policy Fund as on the date of transfer.

# E. The Proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be calculated as under:

The Proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be higher of Discontinued Policy Fund Value or the Guaranteed Monetary Amount. The Guaranteed Monetary Amount is the accumulation of monetary amount transferred into the Discontinued Policy Fund at the guaranteed interest rate. The guaranteed interest rate shall accrue from the date when the monetary amount is transferred to the Discontinued Policy Fund to the date when the policy exits from the Discontinued Policy Fund either by death, surrender, revival, complete withdrawal, at the end of 5 years' lock-in-period or on completion of 2 years revival period (if revival period extends beyond the 5 years' lock-in-period), whichever is applicable. Currently this guaranteed interest rate is 4% p.a. and shall be subject to change from time to time as declared by IRDAI.

#### F. Convert the policy into Paid-up policy:

If the Policyholder exercises the option to convert the policy into the paid-up policy , then in such case the policy shall subsist as a paid-up policy and no premiums shall be payable thereafter. The Basic Sum Assured shall be reduced to such a sum called Paid-up Sum Assured and shall bear the same ratio to the Basic Sum Assured as the number of premiums payable). The reduced risk cover and hence the Mortality Charges in respect of the Paid-up Sum Assured shall be applicable from the next policy month following the date of intimation regarding conversion of policy into paid-up policy. Further, all other charges as specified in Condition 3 of Part E below shall also continue to be deducted.

Under a paid-up policy, in case of death of the Policyholder, higher of Paidup Sum Assured or Policyholder's Fund value shall be payable and in case of surrender of the policy or on maturity, balance amount in the Policyholder's Fund Value as on the date of surrender / date of maturity, as the case may be, shall be payable.

If the balance in the Policyholder's Fund Value, at any time is not sufficient to recover the relevant charges then the policy shall compulsorily be terminated and the balance amount in the Policyholder's Fund Value, if any, shall be refunded to the Policyholder.

No Accident Benefit cover shall be available under paid-up policy. G. Compulsory termination:

If the policy has run for at least 5 years provided 5 full years' premiums have been paid and the balance in the Policyholder's Fund is not sufficient to recover the relevant charges, the policy shall be compulsorily terminated and the balance amount in the Policyholder's Fund, if any, shall be refunded to the Policyholder. This shall be applicable irrespective of whether the policy is inforce or paid-up or during the revival period.

#### 3. Revival of discontinued Policies:

If due premium is not paid within the Grace Period then a notice shall be sent to the Policyholder as specified in Condition 2.B. above.

- In case the Policyholder opts to revive the policy:
- i) If premium is discontinued before the expiry of 5 years' lock-in-period: If the Policyholder exercises the option to revive the policy at any time during the Revival Period, then the Policyholder's Fund Value after deducting the Discontinuance Charge as specified in Condition 3.(iv) d) of Part E below, shall be converted into monetary terms as specified in Condition 2.C above. This monetary amount shall be transferred to the Discontinued Policy Fund. If the Policyholder revives the policy within the Revival Period then the policy shall be revived subject to the following:
- a. The revival shall be allowed on submission of proof of continued
- insurability on payment of all the arrears of premium without interest.
   The Discontinuance Charge deducted from the Policyholder's Fund, if any, along with the proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be added back to the Policyholder's Fund.
- c. All outstanding applicable Policy Administration Charges, Premium Allocation Charges and Service Tax Charges due since the date of discontinuance shall be deducted from the Policyholder's Fund.
- d. Units of the segregated fund originally chosen by the Policyholder or as chosen in the last switch, or the fund chosen at the time of revival, as the case may be, shall be allotted based on the NAV as on the date of revival.

अगर पॉलिसीधारक द्वारा पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी का पुनः प्रचालन नहीं किया जाता है तो पुनः प्रचालन अवधि की समाप्ति या 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के पूर्ण होने पर, जो भी बाद में हो, पॉलिसी को समाप्त दिया जाएगा तथा स्थगित पॉलिसी को धनराशि का भुगतान किया जाएगा। निगम के पास स्थगित पॉलिसी को मूल शर्तो, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या पुनः प्रचालन से मना करने वा अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी का पुनः प्रचालन केवल निगम द्वारा स्थीकृत किए जाने के बाद ही प्रभावित होगा तथा इस बारे में पॉलिसीधारक को लिखित में विशेष रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

ii) अगर 5 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के समाप्त होने के बाद प्रीमियम को स्थगित किया जाता है:

अगर पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के पुनः प्रचालन के विकल्प पर अमल किया जाता है, तो पॉलिसी के मूल नियमों और शर्तों के अनुसार पॉलिसी को बीमा संरक्षण के साथ प्रभावी माना जाएगा तथा नीचे दिए गए भाग या की शर्त 3 में उल्लिखित शर्तों को काटा जाएगा।

अगर पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी का पुनः प्रचालन किया जाता है, तो पॉलिसी का पुनः प्रचालन निम्नलिखित के अधीन होगाः

- अ. सभी बकाया प्रीमियमों का बिना ब्याज के भुगतान किए जाने पर पॉलिसी का पुनः प्रचालन किया जाएगा।
- ब. पॉलिसी को स्थागेत किए जाने की तिथि से देय सभी बकाया प्रीमियम आबटन शुल्क तथा सर्विस टैक्स शुल्क को काटा जाएगा।
- स. पुनः प्रचालन की तिथि को एनएवी के आधार पर यूनिट्स आबंटित की जाएगी। अगर पॉलिसीधारक द्वारा पुनः प्रचालन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित नहीं किया जाता है तो पुनः प्रचालन अवधि के पूरा होने पर पॉलिसी को समाप्त कर दिया जाएगा और पॉलिसीधारक के फंड में शेष बची राशि पॉलिसीधारक को लोटा दी जाएगी।

उपरोक्त कही बातों के होने के बावजूद अगर पॉलिसीधारक का फंड मूल्य नोटिस/पुन: प्रचालन अवधि के दौरान शुल्कों की वसूली करने के लिए पर्याप्त न हो तो पॉलिसी को समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसके बाद पुन: प्रचालन की अनुमति नहीं होगी।

- अभ्यर्पण की गई पॉलिसी को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। 4. पॉलिसी लोन:
- इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- फंड्स के बीच स्विच करने का विकल्प:
- पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान विभिन्न फंड प्रकारों के बीच स्विच कर सकता है। स्विच करने का विकल्प लेने पर पूरी राशि को नए चुने हुए फंड पर स्विच कर दिया जाएगा। एक पॉलिसी वर्ष में 4 स्विच मुफ्त में किए जा सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक स्विच के लिए ₹100 का स्विच चार्ज किया जाएगा।

एक फंड प्रकार से दूसरे में स्विच करने का पॉलिसीधारक का मान्य आवेदन प्राप्त होने पर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को, स्विच करने का शुल्क, अगर लागू हों, घटाकर उसके द्वारा चुने गए नए फंड प्रकार में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसे स्विच करने की तिथि को नए फंड प्रकार के अंतर्गत एनएवी पर फंड यूनिट्स आबंटित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगर मान्य आवेदन एक निर्धारित समय तक (इस समय दोपहर 3 बजे) सेवा देने वाली शाखा में प्राप्त होता है तो उसी दिन का अंतिम एनएवी लागू होगा तथा उस समय के पश्चात सेवा देने वाली शाखा को प्राप्त आवेदन हेतु अगले कार्य दिवस का अंतिम एनएवी लागू होगा।

दिए गए समय मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हैं तथा इस बारे में आईआरडीएआई की ओर से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन प्रभावी होंगे।

 निपटान विकल्प: पॉलिसीधारक पॉलिसी की परिपक्वता की तिथि से कम से कम एक महीने पहले "निपटान विकल्प" पर अमल कर सकता है।

अगर इस विकल्प पर अमल किया जाता है तो पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता दावे का भुगतान एकमुश्त नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में पॉलिसीधारक के फंड की राशि का भुगतान नियमित अतरालों (छमाही/वार्षिक किस्तों) में प्राप्त करेगा, जो कि परिपक्वता की तिथि से पांच वर्षों से अधिक की अवधि नहीं होगी। उसे सुचित करना होगा कि वह परिपक्वता की राशि को किस प्रकार प्राप्त करना चाहता है। किस्त की राशि, परिपक्वता की तिथि को कुल यूनिट्स की संख्या को किस्तों की कुल संख्या से (अर्थात 5 वर्ष की अवधि में वार्षिक और छमाही किस्तों के लिए क्रमश: 5 तथा 10) से विभाजित करके निकाली जाएगी। पॉलिसीधारक का फंड परिपक्वता की तिथि तक मौजद फंड प्रकार में निवेशित रहेगा। प्रत्येक किस्त के लिए इस प्रकार प्राप्त यूनिट्स को किस्त भूगतान की तिथि को लागू फंड प्रकार के एनएवी से गुणा करके निकाली जाएगी। पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि के समान तिथि को किया जाएगा और उसके बाद के भुगतान पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए माध्यम यानी परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक छमाही या प्रत्येक वर्ष के आधार पर होगा। लेकिन निपटान अवधि के दौरान पॉलिसीधारक किसी भी समय पॉलिसीधारक फंड में मौजूद पूरी बकाया राशि को निकाल सकता है। निपटान अवधि के दौरान फंड प्रबंधन शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं काटा जाएगा। इस अवधि में कोई बीमा संरक्षण प्रभावी नहीं होगा। विनिर्धारित तिथि को देय

किस्त का मूल्य निवेश जोखिम के विषयाधीन होगा अर्थात फंड की कार्यकुशलता के आधार पर एनएवी घट या बढ़ सकता है। निपटान अवधि के शरू होने के बाद बीमित व्यक्ति की मत्य होने पर, पॉलिसीधारक के

निपटान अवधि के शुरू होने के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, पॉलिसीधारक के फंड में धारित बकाया यूनिट्स के मूल्य का भुगतान उसके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त रूप में किया जाएगा। निपटान अवधि के शुरू होने के बाद आंशिक निकासी या फंड को स्विच करने की

अनुमति नहीं होगी। 7. <u>आंशिक निकासिया:</u> पॉलिसीधारक पांचवीं पॉलिसी वर्षगांठ के बाद किसी भी समय यूनि

- को आंशिक रूप से निकाल सकता है, बशतें आंशिक निकासी की तिथि तक सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, तथा यह निम्नलिखित के अधीन होगा: i) अवयस्कों के मामले में, बीमित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होने पर ही
- आंशिक निकासियों की अनुमति होगी. ii) आंशिक निकासियां निश्चित राशि या निश्चित संख्या में युनिट्स के रूप में हो सकती है।
- iii) आंशिक निकासी शुल्क जिसका उल्लेख नीचे भाग य की शर्त 3.(iv.)य) में किया गया है, पॉलिसीघारक के फंड मुल्य से काटा जाएगा।
- iv) निम्नलिखित न्यूनतम बैलेन्स के होने पर आशिक निकासी की अनुमति होगी:
- 6वें से 10वें पॉलिसी वर्ष: 3 वर्ष के वार्षिकीकृत प्रीमियम या निकासी की तिथि को पॉलिसीधारक के फंड मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो
- 11दें से 20वें पॉलिसी वर्ष: 3 वर्ष के वार्षिकीकृत प्रीमियम या निकासी की तिथि को पॉलिसीधारक के फंड मूल्य का 25%, जो भी अधिक हो

अगर निकासी की तिथि से तुरन्त बाद दो वर्षों की अवधि के लिए आशिक निकासी की गई हो तो मूल बीमा राशि या प्रदत्त बीमा राशि, जो भी लागू होगा, को आशिक निकासी की उस राशि तक घटा दिया जाएगा। दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर, निकासी की अवधि के दिन से वास्तविक बीमा राशि/प्रदत्त बीमा राशि को पुनःप्रचालन में लाया जाएगा ।

8. यूनिट मूल्य गणना करने की विधि: एनएवी की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और यह निवेश की कार्यकुशलता, प्रत्येक फंड प्रकार के फंड प्रबंधन शुल्क पर निर्भर करेगा तथा इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी: In case the Policyholder does not revive the policy during the Revival Period then the policy shall be terminated on the expiry of the Revival Period or on the completion of 5 years' lock-in-period, whichever is later and the proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be payable. The Corporation reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of a discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated in writing to the Policyholder.

ii) If premium is discontinued after the expiry of the 5 years' lock-in-period: If the Policyholder exercises the option to revive the policy during the Revival Period, then the policy shall be treated as inforce with insurance cover as per original terms and conditions of the policy and charges as specified in Condition 3 of Part E below shall continue to be deducted.

If the Policyholder revives the policy, then the policy shall be revived subject to the following: a. The revival shall be allowed on payment of all the arrears of premium

- without interest. b. All outstanding Premium Allocation Charges and Service Tax Charges
- since the date of discontinuance shall be deducted. c. Units shall be allotted based on the NAV as on the date of revival.
- In case the Policyholder does not revive the policy during the Revival Period, then the policy shall be terminated on the completion of the Revival Period and the balance amount in the Policyholder's Fund shall be refunded to the Policyholder.

Irrespective of what is stated above, if the Policyholder's Fund Value is not sufficient to recover the charges during the notice/revival period, the policy shall terminate and thereafter revival will not be allowed. Reinstatement of surrendered policy shall not be allowed.

#### 4. Policy Loan:

No loan facility is available under this policy

## 5. Option to switch between the funds:

The Policyholder can switch between different fund types allowed under this policy during the policy term. On opting to switch the entire amount is switched to the new Fund opted for. Within a given policy year, 4 switches will be allowed free of charge. Subsequent switches shall be subject to a Switching Charge of Rs.100 per switch.

On receipt of the Policyholder's valid application for a switch from one fund type to another, the Policyholder's Fund Value after deducting Switching Charge, if applicable, shall be transferred to the New Fund type opted for by the Policyholder and shall be utilized to allocate Fund Units at the NAV under the new Fund type on the said date of switch. If a valid application is received up to a particular time (presently 3 p.m.) by the servicing branch the closing NAV of the same day shall be applicable and in respect of the applications received after such time by the servicing branch the closing NAV of the next business day shall be applicable.

The timing given is as per the existing guidelines and changes in this regard shall be as per the instruction from IRDAI from time to time.

6. <u>Settlement Option:</u> The Policyholder may exercise "Settlement Option" atleast one month prior to the date of maturity.

In case this option is exercised, the maturity claim under the policy shall not be paid in lump sum. The Policyholder, in that case, shall encash the amounts from the Policyholder's Fund in regular (half-yearly / yearly instalments) spread over a period of not more than five years from the date of maturity. He/she shall be required to inform how he/she shall receive the maturity proceeds. The instalment shall be the total number of units as on the date of maturity divided by total number of instalments (i.e. 5 and 10 for yearly and half-yearly instalments in 5 year period respectively). The Policyholder's Fund will continue to be invested as per the fund type existing as on the Date of Maturity. The number of units arrived at in respect of each instalment will be multiplied by the NAV of the applicable fund type as on the date of maturity and thereafter based on the mode opted by the Policyholder i.e. every six months or annual from the date of maturity, as the case may be. However, at any time during the settlement period the Policyholder can completely withdraw the outstanding amount in the Policyholder's Fund.

During the Settlement Period no charges other than the Fund Management Charge shall be deducted. There shall not be any insurance cover during this period. The value of instalment payable on the date specified shall be subject to investment risk i.e. the NAV may go up or down depending upon the performance of the fund.

On death of Life Assured after the commencement of Settlement Period, the value of outstanding units held in Policyholder's Fund shall become payable to the nominee/ legal heir in lumpsum.

- No partial withdrawal or switching of fund shall be allowed after commencement of Settlement Period.
- Partial Withdrawals: A Policyholder can partially withdraw the units at any time after the fifth policy anniversary and provided all due premiums till date of partial withdrawal have been paid, subject to the following:
- In case of minors, partial withdrawals shall be allowed only after Life Assured is aged 18 years or above.
- Partial withdrawals may be in the form of fixed amount or in the form of fixed number of units.
- Partial Withdrawal Charge as specified in Condition 3.(iv) e) of Part E below, shall be deducted from the Policyholder's Fund Value.

· From 11th to 20th policy year: 3 annualized premiums or 25% of

If partial withdrawal has been made then for two years' period immediately from the

date of withdrawal, the Basic Sum Assured or Paid-up Sum Assured, whichever

is applicable, shall be reduced to the extent of the amount of partial withdrawals

made. On completion of two years' period from the date of withdrawal the original

and will be based on investment performance, Fund Management Charge of

8. Method of calculation of Unit Value: The NAV will be computed on daily basis

Basic Sum Assured/Paid-up Sum Assured shall be restored.

each Fund type and shall be computed as:

Policyholders' Fund value as on the date of withdrawal, whichever is

 iv. Partial withdrawal will be allowed subject to a minimum balance of:
 From 6th to 10th policy year: 3 annualized premiums or 50% of Policyholders' Fund value as on the date of withdrawal, whichever is

higher

higher

फंड द्वारा धारित निवेश का मार्केट मूल्य + मौजूदा एसेट्स का मूल्य – मौजूदा देयताओं तथा प्रावधानों का मूल्य, अगर कोई हो

मूल्यांकन की तिथि को मौजूदा यूनिट्स की संख्या (यूनिट्स की रचना/मोचन से पूर्व) जहां, मूल्यांकन तिथि एनएवी की गणना की तिथि है।

पॉलिसीधारक का फंड मूल्य नीचे भाग य में विनिर्धारित अनुसार शुल्कों की कटौती के अधीन होगा।

9. <u>नेट एसेट मूल्य की प्रयोज्यता</u>: यूनिट्स आबंटन की तिथि के एनएवी पर आबंटित की जाती हैं। यूनिट्स का निरस्तीकरण भी निरस्तीकरण की तिथि को एनएवी के आधार पर किया जाता है। निगम की किसी शाखा कार्यातय या प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अन्य अधिकृत कार्यातय द्वारा ईसीएस या स्थानीय चेक या प्रीमियम प्राप्ति के स्थान पर सममूल्य पर देय डिमाण्ड ड्राण्ट द्वारा एक निर्धारित समय तक प्राप्त प्रीमियम प्राप्ति के दिन का अतिम एनएवी लागू होगा। उस समय के बर्तमान में दोषहर 3 बजे) प्रीमियम प्राप्ति के दिन का अतिम एनएवी लागू होगा। उस समय के बाद प्रीमियमों के मामले में आले कार्यादेवस का एनएवी लागू होगा।

इसी प्रकार अभ्यर्पण, आंशिक निकासी, मृत्यु दावा, स्विचेज तथा पूरी तरह से निकासी आदि प्राप्त मान्य आवेदनों के मामले में निगम के सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय में उस समय तक उस दिन का अंतिम एनएवी लागू होगा। अभ्यर्पण, आंशिक निकासी, मृत्यु दावा, स्विचेज तथा पूरी तरह से निकासी आदि प्राप्त मान्य आवेदनों के मामले में अगले कार्यदिवस का अंतिम एनएवी लागू होगा। पुनः प्रचालन के मामले में एनएवी, पुनः प्रचालन की तिथि से लागू होगा, जहां पुनः प्रचालन की तिथि, बीमा लेखन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सभी देय प्रीमियम के समायोजन की तिथि होती है । स्थगित किए जाने के मामले में, जहां नोटिस मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंदर पॉलिसीपरक द्वारा विकल्प पर अमल नहीं किया जाता है, नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि वा एनएवी लागू होगा।

परिपक्वता के दावे में, परिपक्वता की तिथि का एनएवी लागू होगा।

मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित समय (इस समय दोपहर 3 बजे) है तथा इस बारे में कोई बदलाव आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होगा।

पॉलिसीधारक द्वारा अदा किया जाने वाला प्रत्येक प्रीमियम नीचे भाग य की शर्त 3(स) में दिए गए प्रीमियम आबंटन शुल्क के अधीन होगा। आबंटित प्रीमियमों का उपयोग उपलब्ध चार फंड प्रकार के विकल्पों में से पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए फंड प्रकार की यूनिट्स को खरीदने में किया जाएगा. यूनिट्स आबंटन की तिथि को संबंधित फंड के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर आबंटित की जाएगी। कोई बिड–ऑफ़र स्प्रैड नहीं है (यूनिट्स की बोली कीमत और ऑफ़र कीमत दोनो एनएवी के समान होगी। भाग य

## 

यूनिट फड़: आबटित प्रीमियमों का इस्तेमाल उपलब्ध चार फड प्रकार के विकल्पों में से पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए फड प्रकार के यूनिट्स खरीदने में किया जाएगा। विभिन्न प्रकार

के फंड विकल्प और मौटे तौर पर उनके निवेश स्वरुप निम्न प्रकार से हैं: फंड का सरकारी/सरकारी/ अल्प अवधि | सचीबद | जोखिम/ | SFIN न.

फंड का प्रकार	सरकारी/सरकारी गारंटी वाली सिक्योरिटीज/ कॉर्पोरेट डेट में निवेश	अल्प अवधि निवेश जैसे कि मनी मार्केट में निवेश	सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश	जोखिम ⁄ आमदनी के लिए फ़ंड का विवरण और उद्देश्य	SFIN नं.
बॉण्ड फंड	60% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	शून्य	कम जोखिम	ULF00 1201114 LICNED + BND512
सिक्योर्ड फंड	45% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	15% से कम नहीं तथा 55% से अधिक नहीं	सतत आय– कम से मध्यम जोखिम	ULF00 2201114 LICNED + SEC 512
बैलेन्स फंड	30% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	30% से कम नहीं तथा 70% से अधिक नहीं	संतुलित आमदनी और वृद्धि मध्यम जोखिम	ULF00 3201114 LICNED + BAL 512
ग्रोथ फंड	20% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	दीर्घ अवधि पूंजी वृद्धि <b>-</b> उच्च जोखिम	ULF00 4201114 LICNED + GRW 512

पॉलिसीधारक के पास अपने प्रीमियमों का निवेश करने के लिए उपरोक्त 4 फंड्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।

स्थागित पॉलिसी फंड : स्थागित पॉलिसी फंड का निवेश स्वरुप निम्नलिखित एसेट मिक्स के रूप में होगाः

मार्केट मनी इंस्ट्रुमेन्ट्सः 0% से 40%

सहकारी सिक्योरिटीजः 60% से 100%

2. <u>ऑफर और बिड कीमत</u>: ऑफर कीमत वह कीमत है जिस पर निगम इस पॉलिसी के संबंध में चुने गए फंड प्रकार में फंड यूनिट्स की रचना/आबंटन करने को तैयार है। बिड कीमत वह कीमत है जिस पर निगम इस पॉलिसी के संबंध में फंड यूनिट्स को रदद (पुन:खरीद) करने को तैयार है। चूंकि यहां कोई बिड–ऑफर स्प्रैड नहीं है अत: इस प्लान के अंतर्गत बिड कीमत तथा ऑफर कीमत एनएवी के समान है।

3. शुल्कः

j) प्रीमियम आबटन शुल्क: यह प्राप्त प्रीमियम में से शुल्कों के लिए अनुभाजित किए जाने वालो प्रीमियम का एक निर्धारित प्रतिशत है। शेष राशि को आबटन दर के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रीमियम का वो हिस्सा होता है जिसका उपयोग पॉलिसी के लिए यूनिट्स खरीदने के लिए किया जाता है। आबंदन शुल्क मिम्म अनुसार है.

पॉलिसी वर्ष	प्रतिशतता
प्रथम वर्ष	7.5%
दूसरे से पांचवें वर्ष	5%
छठे वर्ष और उसके पश्चात	3%

ii) मॉर्टेलिटी शुल्कः

माउंदित पुरस्त, प्रत्येक जीवन बीमा संरक्षण की लागत है और इसे प्रत्येक पॉलिसी माह के आरंभ में पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को आनुपातिक रुप से रद्द करके लिया जाता है। मासिक शुल्क वार्षिक मॉर्टेलिटी शुल्क का बारहवां हिस्सा होगा, जो कि नीचे तालिका में दिया गया है।

यह शुल्क, शुल्क काटे जाने की तिथि को, सभी अन्य शुल्कों को काटने के बाद जोखिम यत राशि पर निर्भर करेगा तथा वे शुल्क केवल तभी काटे जाएंगे अगर मूल बीमा राशि/चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो, शुल्कों को काटे जाने की तिथि को पॉलिसीधारक के फंड मूल्य से अधिक हो। Market value of investment held by the fund + Value of Current Assets - Value of Current Liabilities & Provisions, if any

Number of Units existing on Valuation Date (before creation / redemption of Units) Where, Valuation Date is the date of calculation of NAV. The Policyholder's Fund Value will be subject to deduction of charges, as

specified in the Part E below
9. Applicability of Net Asset Value: Units are allocated at NAV of the date of allocation. The Units will also be cancelled based on NAV of the date of such cancellation. For the premiums received up to a particular time (presently 3 p.m. as per IRDAI guidelines) by any branch office of the Corporation or other authorised office for premium collection, through ECS or by way of a local cheque or a demand draft payable at par at the place where the premium is received, the closing NAV of the day on which premium is received shall be applicable. In case the premiums due applicable.

Similarly, in respect of the valid applications received for surrender, partial withdrawal, death claim, switches and in case of complete withdrawal etc. up to such time by the servicing branch of the Corporation closing NAV of that day shall be applicable. For the valid applications received in respect of surrender, partial withdrawal, death claim, switches and in case of complete withdrawal etc after such time, the closing NAV of the next business day shall be applicable. In case of revival, NAV as on the date of revival shall be applicable. Where date of revival is the date of adjustment of all due premiums after underwriting

acceptance has been received. In case of discontinuance, wherein the Policyholder does not exercise the option within the period of 30 days of receipt of notice then the NAV as on the date of expiry of notice period shall be applicable.

In respect of maturity claim, NAV of the date of maturity shall be applicable. The timing given (presently 3 p.m.) is as per the existing guidelines and changes

in this regard shall be as per the instructions from IRDAI. Each premium paid by the Policyholder shall be subject to Premium Allocation

Charge as per details given in Condition 3.(i) of Part E below. The allocated premiums will be utilized to buy units as per the Fund type opted by the Policyholder out of the Four Fund types options available. Units will be allotted based on the Net Asset Value (NAV) of the respective fund as on the date of allotment. There is no Bid-Offer spread (both the Bid price and Offer price of units will be equal to the NAV).

## 1. Fund Unit Allocation and Investment of Fund:

PART E

Unit Fund: The allocated premiums will be utilized to buy units as the fund type opted by the Policyholder out of the four fund types options available. Various types of fund options and broadly their investment patterns are as under:

Fund Type	Investment in Government / Guaranteed Securities / Corporate Debt	Short-term investments such as money market instruments	Investment in Listed Equity Shares	Details and objective of the fund for risk /return	SFIN No.
Bond Fund	Not less than 60%	Not more than 40%	Nil	Low risk	ULIF00 1201114 LICNED+ BND512
Secured Fund	Not less than 45%	Not more than 40%	Not less than 15% & Not more than 55%	Steady Income –Lower to Medium risk	ULIF00 2201114 LICNED+ SEC 512
Balanced Fund	Not less than 30%	Not more than 40%	Not less than 30% & Not more than 70%	Balanced Income and growth – Medium risk	ULIF00 3201114 LICNED+ BAL 512
Growth Fund	Not less than 20%	Not more than 40%	Not less than 40% & Not more than 80%	Long term Capital growth – High risk	ULIF00 4201114 LICNED+ GRW512

The Policyholder will have the option to choose any ONE of the above 4 funds to invest his premiums.

Discontinued Policy Fund: The investment pattern of the Discontinued Policy Fund shall have the following asset mix: Money market instruments: 0% to 40%

Government securities: 60% to 100%

2. Offer and Bid Price: The Offer price is the price at which the Corporation is prepared to create/ allot Fund Unit/s in the opted Fund Type in respect of this policy. The Bid price is the price at which the Corporation is prepared to cancel (repurchase) Fund Unit/s in the Fund in respect of this policy. As there is no Bid-Offer spread, the Bid price and the Offer price under this plan are equal to the

#### NAV. 3. <u>Charges</u>:

(i) <u>Premium Allocation Charge:</u> This is the percentage of the premium appropriated towards charges from the premium received. The balance known as allocation rate constitutes that part of the premium which is utilized to purchase units for the policy.

The allocation charges are as below

	Policy Year	Percentage				
	First Year	7.5%				
	2nd to 5th Year	5%				
	6th Year & thereafter	3%				

(ii) Mortality Charge:

Mortality Charge is the cost of Life Insurance cover and this will be taken at the beginning of each policy month by canceling the Policyholder's Fund Value proportionately. The monthly charges will be one twelfth of the annual Mortality Charges given in the Table below.

This charge shall depend upon the Sum at Risk as on the date of deduction

जहां, मूल बीमा राशि है (10<sup>\*</sup> वार्षिकीकृत प्रीमियम) या (कुल अदा किए गए प्रिमियमों का 105%), जो भी अधिक हो। कुल अदा किए गए प्रीमियमों को मर्त्यता शुल्क काटे जाने की तिथि को गणना में लिया जाएगा।

अगर पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में परिवर्तित किया जाता है तो जोखिमगत राशि के संबंध में मॉटॅलिटी शुल्क को अगले पॉलिसी माह से काटा जाएगा।

पॉलिसी वर्ष के दौरान मॉटॅलिटी शुल्क बीमित व्यक्ति के पॉलिसी वर्षगांठ से मेल खाने वाले नजदीकी जन्म दिन पर उम्र या यूनिट्स करने की देय तिथि से ठीक पूर्व पर निर्भर करेगा और इसलिए प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ पर इसमें वृद्धि हो सकती है, इसके अलावा यह शुल्क पॉलिसीधारक के स्वास्थ्य, व्यवसाय और जीवनशैली पर निर्भर करेगा। उम्र अनुसार ये वार्षिक शुल्क नीचे दिए गए हैं

्योगियामन प्रचोक ₹1000 / एव नार्षित

जाखिमगत प्रत्येक ₹1000/- पर वार्षिक							
उम्र	मॉर्टेलिटी	उम्र	मॉर्टेलिटी	उम्र	मॉर्टेलिटी	ত্যম	मर्त्यता
	शुल्क		शुल्क		शुल्क		शुल्क
2	3.67	17	0.93	32	1.40	47	4.46
3	2.76	18	1.00	33	1.45	48	4.98
4	2.09	19	1.06	34	1.52	49	5.55
5	1.58	20	1.11	35	1.60	50	6.18
6	1.21	21	1.15	36	1.70	51	6.85
7	0.93	22	1.18	37	1.81	52	7.56
8	0.74	23	1.20	38	1.94	53	8.30
9	0.61	24	1.22	39	2.08	54	9.07
10	0.55	25	1.23	40	2.25	55	9.86
11	0.54	26	1.24	41	2.45	56	10.68
12	0.56	27	1.25	42	2.68	57	11.53
13	0.61	28	1.27	43	2.94	58	12.43
14	0.69	29	1.29	44	3.24	59	13.39
15	0.77	30	1.32	45	3.59		
16	0.85	31	1.35	46	4.00		

iii) दूर्घटना हितलाभ शुल्क (अगर वाइडर चुना गया हो)-

यह शुल्क एलआईसी के लिंक्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइइर (अगर चुना गया हो) को संरक्षित करने के लिए लिया जाता है और इसे प्रत्येक पॉलिसी माह के आरम में पॉलिसीधारक के फंड मृत्य से उपयुक्त संख्या में यूनिट्स को रद्द करके काटा जाता है। लेवल वार्षिक शुल्क प्रति वर्ष ₹0.40 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से है। अगर बीमित व्यक्ति अर्द्धसैनिक बलों के अलावा किसी अन्य पुलिस संगठन में पुलिस इयूटी से जुड़ा है और वह पुलिस इयूटी से जुड़े रहने के दौरान यह संरक्षण लेना चाहते है तो, लेवल वार्षिक शुल्क प्रति पॉलिसी वर्ष हेतु ₹0.80 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से लिया जाएगा। मासिक शुल्क वार्षिक दुर्घटना हितलाभ शुल्क का बारहवा हिस्सा होगा।

## iv) अन्य शुल्क

 अ) <u>पॉलिसी प्रशासन शुल्क</u> यह शुल्क प्रत्येक पॉलिसी माह के आरंभ में पॉलिसीधारक के फंड से उपयुक्त संख्या में युनिट्स को रद्द करके काटा जाएगा।
 पॉलिसी के प्रभावी रहने के दौरान पॉलिसी प्रशासन शुल्क, निम्न अनुसार प्रभावी

होगा:	
पॉलिसी वर्ष	<u> पॉलिसी प्रशासन शुल्क (प्रति माह)</u>
पहला वर्ष	(0.35% <sup>*</sup> किस्त प्रीमियम <sup>*</sup> K) या (₹100), जो भी कम हो
दूसरा वर्ष	(0.25% <sup>*</sup> किस्त प्रीमियम <sup>*</sup> K) या ₹70/−), जो भी कम हो
तीसरा वर्ष	तीसरे वर्ष का शुल्क * 1.03
चौथा वर्ष	चौथे वर्ष का शुल्क * 1.03
पांचवां वर्ष	चौथे वर्ष का शुल्क * 1.03
छठा वर्ष और उसके बाद	इन छठे वर्ष ₹52.17 और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 3% की वृद्धि

## जहां, K को नीचे दी गई तालिका के अनुसार लिया गया है:

प्रीमियम भुगतान का माध्यम	घटक ''K''
वार्षिक	1
छमाही	1.6
तिमाही	2.6
	-

- मासिक 7 ब) <u>फंड प्रबंधन शुल्क</u> - फंड प्रबंधन शुल्क (FMC) निम्न अनुसार होगाः • प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध सभी चार फंड प्रकारों अर्थात बांड फंड,
- सिक्योर्ड फंड, बैलेन्स्ड फंड और ग्रोथ फंड के लिए यूनिट फंड का 0.70% वार्षिक।
- ''स्थागित पॉलिसी फंड'' के लिए यूनिट फंड का 0.50% वार्षिक यह शुल्क एनएवी की गणना के समय लिया जाता है, जो कि दैनिक आधार पर होगा. इस प्रकार घोषित एनएवी एफएमसी को छोड़कर है।
- स) स्विच करने का शुल्क यह शुल्क एक फंड से दूसरे फंड में पैसों को स्विच करते समय लगाया जाता है। एक पॉलिसी वर्ष में 4 स्विच नि:शुल्क किए जा सकते हैं। उसके बाद के किन्हीं शुल्कों के लिए प्रति स्विच ₹100 का शुल्क लिया जाता है।
- द) <u>स्थगित करने का शुल्क</u> पॉलिसी को निम्न अनुसार अभ्यर्पण या स्थगित करने पर, पॉलिसीधारक के फंड से उपयुक्त संख्या में यूनिट्स को रद्द करके यह शुल्क काटा जाता है:

	3		
	पॉलिसी को निम्न	₹25,0000 तक वार्षिकीकृत	₹25,000 से अधिक
	पॉलिसी वर्ष के	प्रीमियम वाली पॉलिसियों	वार्षिकीकृत प्रीमियम वाली
	दौरान स्थगित किए	के लिए स्थगित किए	पॉलिसियों के लिए स्थगित
	जाने पर	जाने का शुल्क	किए जाने का शुल्क
	1	15%* (AP वा FV) में जो	6* (AP वा FV) में जो
		भी कम हो, अधिकतम	भी कम हो, अधिकतम
		₹2500/- के अधीन	₹6000/- के अधीन
	2	7.5%* (AP वा FV) में जो	4* (AP वा FV) में जो
		भी कम हो, अधिकतम	भी कम हो, अधिकतम
		₹1750/- के अधीन	₹5000/- के अधीन

of charge, after deduction of all other charges, and shall be deducted only if, the Basic Sum Assured/Paid-up Sum Assured, whichever is applicable, is more than the Policyholder's Fund Value as on the date of deduction. Where, Basic Sum Assured is (10 \* Annualized Premium) or (105% of total premiume poid, whichever is birther. The total premiume poid, which we are a birther.

premiums paid), whichever is higher. The total premiums paid shall be reckoned as on date of deduction of Mortality Charge. In case where the Policyholder converts the policy into paid-up policy, the

Mortality Charge in respect of Sum at Risk shall be deducted from the following policy month.

Mortality Charges, during a policy year, will be based on the age nearer birthday of the Life Assured as on the policy anniversary coinciding with or immediately preceding the due date of cancellation of units and hence may increase every year on each policy anniversary. Further, this charge shall also depend on health, occupation and lifestyle of the Policyholder. These age-specific annual charges are as given below:

#### se age-specific arritidar charges are as given be

Annual Mortality charge per Rs. 1000/- Sum at Risk							
Age	Mortality Charge	Age	Mortality Charge	Age	Mortality Charge	Age	Mortality Charge
2	3.67	17	0.93	32	1.40	47	4.46
3	2.76	18	1.00	33	1.45	48	4.98
4	2.09	19	1.06	34	1.52	49	5.55
5	1.58	20	1.11	35	1.60	50	6.18
6	1.21	21	1.15	36	1.70	51	6.85
7	0.93	22	1.18	37	1.81	52	7.56
8	0.74	23	1.20	38	1.94	53	8.30
9	0.61	24	1.22	39	2.08	54	9.07
10	0.55	25	1.23	40	2.25	55	9.86
11	0.54	26	1.24	41	2.45	56	10.68
12	0.56	27	1.25	42	2.68	57	11.53
13	0.61	28	1.27	43	2.94	58	12.43
14	0.69	29	1.29	44	3.24	59	13.39
15	0.77	30	1.32	45	3.59		
16	0.85	31	1.35	46	4.00		

(iii) Accident Benefit Charge (if the Rider is opted for)-

This is the charge to cover the cost of LIC's Linked Accidental Death Benefit
Rider (if opted for) levied at the beginning of each policy month by cancelling
appropriate number of units out of the Policyholder's Fund Value. A level
annual charge shall be at the rate of Rs. 0.40 per thousand Accident Benefit
Sum Assured per policy year. If the Life Assured is engaged in police duty in
any police organization other than paramilitary forces and opted for this cover
while engaged in police duty, then the level annual charge shall be at the rate
of Rs 0.80 per thousand Accident Benefit Sum Assured per policy year.
The monthly charges will be one twelfth of the annual Accident Benefit

Charge.

(iv) Other Charges -

<u>Poli</u> 1st

a) Policy Administration Charge:

This charge shall be deducted at the beginning of each policy month by cancelling appropriate number of units out of Policyholder's Fund. The Policy Administration Charge per month, while the policy is inforce shall be as follows:

licy Year	Policy Admin Charge (per month)
Year	(0.35% * Instalment Premium* K) OR (Rs.100/ whichever is lower

(0.25% * Instalment Premium* K) OR (Rs.70/-), whichever is lower
2nd Year charge * 1.03
3rd Year charge * 1.03
4th Year charge * 1.03
Rs. 52.17 in 6th year escalating at 3% p.a. thereafter

Where, K is taken as in Table given below:

Mode of premium Payment	Factor "K"
Yearly	1
Half-Yearly	1.6
Quarterly	2.6
Monthly	7

- b) <u>Fund Management Charge</u> Fund Management Charge (FMC) shall be as under:
- 0.70% p.a. of Unit Fund for all the four fund types available under an inforce policy i.e. Bond Fund, Secured Fund, Balanced Fund and Growth Fund
- 0.50% p.a. of Unit Fund for "Discontinued Policy Fund" This is a charge levied at the time of computation of NAV, which will be done on daily basis. The NAV, thus declared, will be net of FMC.
- c) <u>Switching Charge</u> This is a charge levied on switching of monies from one fund to another and will be levied at the time of effecting a switch. Within a given policy year, 4 switches shall be allowed free of charge. Subsequent switches, if any, shall be subject to a Switching Charge of Rs. 100 per switch.
- d) <u>Discontinuance Charge</u> The Discontinuance Charge shall be deducted by cancelling appropriate number of units out of Policyholder's Fund, if a policy is surrendered or discontinued and is as under:

Where the policy is discontinued during the policy year	Discontinuance Charges for the policies having annualized premium up to Rs. 25,000/-	Discontinuance Charges for the policies having annualized premium above Rs. 25,000/-
1	Lower of 15% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs. 2500/-	Lower of 6% * (AP or FV) subject to maximum of Rs. 6000/-
2	Lower of 7.5% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs. 1750/-	Lower of 4% * (AP or FV) subject to maximum of Rs. 5000/-

3	5%* (AP वा FV) में जो भी कम हो, अधिकतम ₹1250/- के अधीन	3* (AP वा FV) में जो भी कम हो, अधिकतम ₹4000/– के अधीन
4	3%* (AP वा FV) में जो भी कम हो, अधिकतम ₹750/- के अधीन	2* (AP वा FV) में जो भी कम हो, अधिकतम ₹2000/– के अधीन
5 व उसके बाद	शून्य	शून्य

जहा

AP – वार्षिकीकृत प्रीमियम

FV – स्थगित किए जाने की तिथि को पॉलिसीधारक का फंड मुल्य ''पॉलिसी के स्थगित होने की तिथि'' वह तिथि होगी जब बीमाकर्ता को बीमाधारक या पॉलिसीधारक से पॉलिसी के स्थगित किए जाने या पॉलिसी को अभ्यर्पण किए जाने या 30 दिनों की नोटिस की अवधि समाप्त होने के बारे में सूचना मिलती है,

- जो भी पहले हो। य) आशिक निकासी शुल्क यह आशिक निकासी के लिए लिया जाने वाला शुल्क है जो कि फ्लैट ₹100/– है और इसे पॉलिसीधारक के फंड से उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके काटा जाता है तथा कटौती उस दिन की जाती है जिस दिन आशिक निकासी की जाती है।
- र) सर्विस टैक्स शुल्क- अगर सर्विस टैक्स देय हो तो वह सर्विस टैक्स कानूनों के अनुसार होगा तथा समय-समय पर लागू दर से काटा जाएगा। इस प्लान पर लागू सभी या किसी भी शुल्क पर सर्विस टैक्स शुल्क मौजूदा टैक्ससंबंधी कानूनों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत देय होगा, जो कि भारत सरकार द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी की गई हो तथा इसे पॉलिसीधारक को संदर्भित नहीं किया जाएगा।
- ल) विविध शुल्क यह शुल्क पॉलिसी की संविदा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि पॉलिसी जारी करने के बाद प्रीमियम के माध्यम में परिवर्तन तथा दर्घटना हितलाभ राइडर प्रदान करना, और इसके लिए फ्लैट ₹50/– की राशि ली जाएगी, जो कि पॉलिसीधारक के फंड से उपयुक्त संख्या में यूनिट्स को रद्द करके ली जाएगी तथा इसे पॉलिसी में बदलाव करने की तिथि को काटा जाएगा।
- 4 <u>शुल्कों में सशोधन करने का अधिकार:</u> निगम के पास प्रीमियम आबटन शुल्क, मर्त्यता क और दुर्घटना हितलाभ शुल्क को छोड़कर उपरोक्त में से सभी या किसी भी शुल्क को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। शुल्कों में संशोधन आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति से पश्चातवर्ती प्रभाव से किया जाएगा।

हालांकि शुल्क समीक्षा योग्य है, तथापि वे निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होंगे: पॉलिसी प्रशासन शुल्क: प्रति माह पॉलिसी प्रशासन शुल्क निम्नलिखित से अधिक नहीं

C. III	
<u>पॉलिसी वर्ष</u>	पॉलिसी प्रशासन शुल्क (प्रति माह)
पहला वर्ष	₹200
दूसरा वर्ष	₹140
तीसरा वर्ष	₹145
चौथा वर्ष	₹150
पांचवा वर्ष	₹155
छठा वर्ष और उसके बाद	छठे वर्ष ₹100 और
	उसके बाद 3% वार्षिक वृद्धि

फड प्रबंधन शुल्क: फड प्रबंधन शुल्क निम्नलिखित से अधिक नहीं होगाः

• प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध चारों प्रकार के फंड जैसे कि बॉण्ड फंड,सिक्योर्ड फंड, बैलेन्स्ड फंड और ग्रोथ फंड के लिए यूनिट फंड का 1.35% वार्षिक

• ''स्थागित पॉलिसी फंड'' के लिए यूनिट फंड का 0.50% वार्षिक आशिक निकासी शुल्क : प्रत्येक निकासी के लिए यह ₹200/- से अधिक नहीं होगा। स्विच करने का शुल्क: यह प्रति स्विच के लिए ₹200/- से अधिक नहीं होगा विविध शल्क: प्रत्येक परिवर्तन अनरोध के लिए यह ₹100/- से अधिक नहीं होगा। अगर पॉलिसीधारक शुल्कों में सशोधन के लिए सहमत न हो तो पॉलिसीधारक के पास पॉलिसीधारक फंड मल्य को निकालने का विकल्प होगा।

#### भाग र: अन्य नियम व शर्ते:

1. फ्री लुक अवधिः अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट न हो तो पॉलिसी पाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्तियों के कारणों का उल्लेख करते हुए पॉलिसी निगम को लौटा सकता है। फ्री लुक अवधि के अंदर पॉलिसी को लौटाए जाने पर वापस की जानेवाली रकम निम्न अनुसार होगी:

- पॉलिसीधारक के फंड में यनिटस का मल्य
- + आबंटित न किया गया प्रीमियम
- + काटा गया पॉलिसी प्रशासन शुल्क
- + काटा गया सर्विस टैक्स शुल्क
- + आनुपातिक मृत्युदर एवं दर्घटना लाभ शुल्क, यदि कोई हो, शेष अवधि के लिए कूलिंग ऑफ अवधि से पॉलिसी माह के अंत तक, जिसके लिए संबंधित शुल्क काटे गए
- प्रति हजार मूल बीमा राशि और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि, अगर कोई हो पर ₹0.20 प्रति हजार की दर से स्टैम्प ड्यूटी
- स्वास्थ्य जांच परीक्षा और विशेष रिपोर्ट्स, अगर कोई हो, पर वास्तविक खर्च 2. विशेष परिस्थितियों में जब्ती: यदि इसमें उल्लिखित या पृष्ठांकित किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा या इस के बाद यह पाया जाएगा कि इस में उल्लिखित प्रस्ताव और घोषणाओं में कोई असत्य या गलत बयान सम्मिलित है या उसमें संदर्भित प्राकथनों को सही और साफ ढंग से नहीं बताया गया है अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए हैं तो यह पॉलिसी अवैध मानी जाएगी। ऐसी प्रत्येक परिस्थितियों में लाभों के दावों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के लागू हो सकने वाले प्रावधानों के अधीन होगी।
- 3. अ) समानुदेशन: इस पॉलिसी के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के तहत समानुदेशन की अनुमति है। धारा 38 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं। समानुदेशन का नोटिस निगम के इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए दिया जाना चाहिए, जहाँ पॉलिसी को सेवाए प्रदान की जाती है।
- ब) नामांकन: समय-समय पर यथासशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन अपेक्षित है। धारा 39 के मौजदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-२ में दिए गए हैं। नामांकन या नामांकन बदलने की सूचना निगम के इस कार्यालय में पंजीकरण के लिये दिया जाना चाहिये जहां पॉलिसीयों को सेवायें प्रदान की जाती है । नामाकन के पंजीकरण में निगम उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है या कोई राय नहीं व्यक्त करता हैं।
- 4 जोखिम सरक्षणों में वृद्धि/कमी: प्लान के अतर्गत जोखिम सरक्षणों में किसी वृद्धि/कमी की अनुमति नहीं है।

3	Lower of 5% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs. 1250/-	Lower of 3% * (AP or FV) subject to maximum of Rs. 4000/-
4	Lower of 3% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs. 750/-	Lower of 2% * (AP or FV) subject to maximum of Rs. 2000/-
5 and onwards	NII	NIL

#### Where

AP - Annualised Premium

- FV Policyholder's Fund Value on the date of discontinuance
- "Date of discontinuance of the policy" shall be the date on which the insurer receives the intimation from the insured or Policyholder about discontinuance of the policy or surrender of the policy or on the expiry of the notice period of 30 days, whichever is earlier.
- e) Partial Withdrawal Charge This is a charge levied on partial withdrawal and shall be a flat amount of Rs. 100/- which will be deducted by cancelling appropriate number of units out of Policyholder's Fund and the deduction shall be made on the date on which partial withdrawal takes place.
- f) Service Tax Charge Service tax charge, if any, will be as per the service tax laws and rate of service tax as applicable from time to time. Service Tax Charge shall be levied on all or any of the charges applicable to
- this plan as per the prevailing Service Tax laws/notification etc. as issued by Government of India from time to time in this regard without any reference to the Policyholder. g) Miscellaneous Charge - This is a charge levied for an alteration within the
- contract, such as change in premium mode and Grant of Accident Benefit Rider after the issue of the policy, and shall be a flat amount of Rs. 50/which will be deducted by cancelling appropriate number of units out of Policyholder's Fund and the deduction shall be made on the date of alteration in the policy.
- 4. Right to revise charges: The Corporation reserves the right to revise all or any of the above charges except Premium Allocation charge, Mortality Charge and Accident Benefit Charge. The modification in charges will be done with prospective effect with the prior approval of IRDAI. Although the charges are reviewable, they will be subject to the following
- maximum limit. Policy Administration Charge: The Policy Administration Charge per month

shall not exceed the following: Poli

	Policy Year	Policy Admin Charge (per month)
	1st Year	Rs. 200
	2nd Year	Rs. 140
	3rd Year	Rs. 145
	4th Year	Rs. 150
	5th Year	Rs. 155
	6th Year & Thereafter	Rs. 100 in 6th Year and escalating
		at 3% p.a. thereafter
r	d Management Charge:	The Fund Management Charge shall

Fund M Il not exceed the following

- 1.35% p.a. of Unit Fund for all the four fund types available under an inforce policy i.e. Bond Fund, Secured Fund, Balanced Fund and Growth Fund
- 0.50% p.a. of Unit Fund for "Discontinued Policy Fund" Partial withdrawal Charge: This shall not exceed Rs. 200/- on each withdrawa
- Switching Charge: This shall not exceed Rs. 200/- per switch.

Miscellaneous Charge: This shall not exceed Rs. 100/- each time when an alteration is requested.

In case the Policyholder does not agree with the revision of charges the Policyholder shall have the option to withdraw the Policyholder's Fund Value.

#### PART – F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. Free look period: If the Policyholder is not satisfied with the "Terms or Conditions" of the policy, he/she may return the policy to the Corporation within 15 days from the date of receipt of the policy stating the reason of objections The amount to be refunded in case the policy is returned within Free Look Period shall be determined as under:

Value of units in the Policyholder's Fund

Plus Unallocated premium

Plus Policy Administration Charge deducted

Plus Service Tax Charge deducted

Plus proportionate Mortality and Accident Benefit charge, if any, for the balance period from the date of cooling off to the end of policy month for which the respective charges have been deducted

Less Stamp Duty @ Rs.0.20 per thousand Basic Sum Assured and Accident Benefit Sum Assured, if anv

- Less Actual cost of medical examination and special reports, if any.
- 2. Forfeiture in Certain Events: In case any Condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case the policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938. as amended from time to time.
- 3. a) Assignments: Assignment is allowed under this plan as per Section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-1 of this Policy Document. The notice of assignment should be submitted for registration to the office of
  - the Corporation, where the policy is serviced.
- b) Nominations: Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-2 of this Policy Document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

4. Increase/Decrease of risk covers: No increase/decrease of risk covers will be allowed under the plan.

5. आत्महत्या: पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुन प्रचालन की तिथि से 12 अत्य के अंदर आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर पॉलिसीधारक का नामित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु की तिथि को उपलब्ध पॉलिसीधारक का फंड मूल्य पाने के लिए अधिकृत होगा। निगम इस पॉलिसी पर किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा और पॉलिसी को रदद कर दिया जाएगा।

अगर पॉलिसी में प्रवेश या उसके पुनःप्रचालन के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो यह धारा लागू नहीं होगी।

- 6. टैक्स: टैक्स संबंधी कानूनों के अनुसार कर तथा सर्विस टैक्स, यदि कोई देय हो, समय-समय पर लागू दर से देय होंगे।
- 7. बीमित व्यक्ति द्वारा वहन किए जाने वाले जोखिम: यूनिट्स के मूल्य और पॉलिसीधार के फंड मल्य से संबंधित फायदे मार्केट तथा अन्य जोखिमों के अधीन होते हैं और इस बात की कोई गारटी नहीं दी जा सकती है कि उपरोक्त में से किसी फंड के उददेश्यों को प्राप्त कर ही लिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक फंड प्रकार के अतर्गत यूनिट्स के मूल्य पूंजी बाजारों को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों के आधार पर घट बढ़ सकते हैं तथा ब्याज दरों के सामान्य स्तरों में परिवर्तनों और अन्य आर्थिक घटकों से प्रभावित हो सकते वीं पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ टैक्स संबंधी कानूनों तथा समय-समय पर लागू होने -वाले अन्य वित्तीय विधानों के भी अधीन होंगे।
- 8. दावे के लिए सामान्य आवश्यकताए: बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्वारा विनिर्धारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व विकित्सा उपचार, रुकुल/कॉलेज/नियोवता का प्रमाण पत्र, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा। आर पॉलिसी के अंतर्गत उम्र स्वीकृत नहीं की है, तो बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पॉलिसी के परिपक्वता दावे में परिणत होने या विद्यमानता हितलाभ दावे की स्थिति प्राप्त करने या पॉलिसी के सरेन्डर किए जाने की स्थिति में, बीमित जीवन को डिस्चार्ज फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, उम्र का प्रमाण, अगर उम्र को पहले स्वीकृत नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

पॉलिसी के अंतर्गत दुईटनात्मक मृत्यु का दावा उत्पन्न होने पर निम्नलिखित सूची में से लागू विवरणियां मंगवायी जा सकती है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई: 1. प्राथमिक (एफआईआर) की प्रमाणित प्रतिलिपि

- 2. पुलिस तहकीकात रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 3 पचनामा की प्रतिलिपि
- 4. मृत्यु के संभावित कारण की जानकारी के लिए पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट अगर पोस्ट
- मॉर्टम में बिसरा को सुरक्षित किया गया है तो उसकी सामग्रियों की जानकारी के लिए केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट अर्थात क्या बीमित व्यक्ति ने शराब, ड्रग्स, मादक द्रव्यों या जार का सेवन किया था।
- 5. अखबार की कटिंग, जिसमें दर्घटना का उल्लेख किया गया हो।
- 6. अगर मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, अगर बीमित व्यक्ति वाहन चला रहा हो।
- 7 मृत्यु के बारे में सब-डिविजनल माजिस्ट्रेट का अतिम निर्णय- इसे मृत्यु के वर्गीकरण . स्वाभाविक/आत्महत्या/दुर्घटनात्मक की जानकारी मिलेगी।
- 8. जहां दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई हो, जैसे कि कुत्ते या साप के काटने से मृत्युं, तो वैकल्पिक प्रमाण दिया जाना चाहिए जैसे कि चश्मदीद गवाह का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारी का हलफनामा, हमारी अपनी पछताछ रिपोर्ट, इलाज करने वाले डॉक्टर या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त हो सकती है। 9. अस्पताल में इलाज की रिकॉर्ड
- 9. वैधानिक परिवर्तन: इस पॉलिसी के अतर्गत प्रीमियम व देय हितलाभ तथा नियम तथा शतें संबंधित विधानों और विनियमों में परिवर्तन के विषयाधीन होंगे।
- 10. यनिट की विवरणी : यनिट की विवरणी वार्षिक आधार पर तथा कोई टाजेक्शन होने की दशा में जारी की जाएगी।
- 11. लाभों का उदाहरण: मानक जीवन अवधारणा पर आधारित आपका अनुकूल हितलाभ का उदाहरण इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न है।

## भाग – लः सांविधिक प्रावधान

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे । मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट–III में संलग्न है।

### शिकायत समाधान प्रणाली:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक शुभचिन्तक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़रिए पजीकृत पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरानी रख सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आईडी co crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अगर प्राप्त प्रतिसाद से ग्राहक संतुष्ट नहीं हो या उसे 15 दिनों के अंदर हमसे कोई प्रतिसाद न मिले तो ग्राहक निम्नलिखित किसी माध्यम से आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष हो सम्पर्क कर सकता है ।

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेन्टर) पर कॉल करे
- यहां ई मेल भेजे complaints@irda.gov.in
- ऑनलाइन शिकायत http://www.igms.irda.gov.in पर दर्ज करे
- करियर/पत्र के जरिए शिकायत यहां भेजकर: उपभोक्ता मामले विभाग. भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, 9वीं मंजिल, युनायटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद - 500 029. आंध्र प्रदेश ।

• फैक्स नं. 040-66789768 पर शिकायत भेजे जो दावेदार मृत्यू के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रूप में हैं। दावों से संबंधित शिकायतों से समाधान के लिए दावेदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चे के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए है।

5. Suicide: In case of death due to suicide, within 12 months from the date of commencement of policy or from the date of revival of the policy, the nominee or beneficiary of the policyholder shall be entitled to the Policyholder's Fund Value, as available on the date of death. The Corporation will not entertain any other claim by virtue of this policy and the policy shall terminate. This clause shall not be applicable in case age at entry of the Life Assured or at

the time of revival is below 8 years.

- 6. Tax: Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.
- 7. Risks borne by the Life Assured: The Value of the units as well as the Benefits relating to the Policyholder's Fund Value are subject to market and other risks and there can be no assurance that the objectives of any of the above funds will be achieved. Further, the value of units within each Fund Type can go up or down depending on the different factors affecting the capital markets and may also be affected by changes in the general level of interest rates and other economic factors. All benefits under the policy are also subject to the Tax Laws and other Financial enactments as they become applicable from time to time.
- 8. Normal requirements for a claim: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document. NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death, school/ college/ employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life Assured shall also be submitted.

Where the policy results into a maturity claim or the policyholder exercises settlement option or in case of surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document. NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

Where policy results into a accidental death claim the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death took place:-

- 1) A certified copy of first information report (FIR).
- 2) A certified copy of police inquest report.
- 3) Copy of panchanama.
- 4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether Life Assured has consumed liquor, drugs, narcotics or
- 5) News paper cuttings where accident is reported.

of death as 'natural/suicide/accidental'

or hospital reports may be sufficient.

9) Hospital treatment records.

relevant Legislation & Regulations.

when a transaction takes place.

PART - G: STATUTORY PROVISIONS

Grievance Redressal Mechanism:

of this Policy Document.

Call Centre)

assumption is enclosed to this document.

Section 45 of the Insurance Act, 1938 :

· Sending an email to complaints@irda.gov.in

Hyderabad - 500 029, Andhra Pradesh.

speedy arbitration to customers.

Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in

Address for sending the complaint through courier / letter;

6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if Life Assured was driving the vehicle. 7) Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification

8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or

9. Legislative Changes: The terms and conditions including the premiums and

10. Unit Statement: Unit statement shall be issued on yearly basis and also as and

11. Benefit Illustration: Your customized Benefit Illustration based on standard life

benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the

The provision of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as

amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-3

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/

Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer

(website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can

directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co\_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive

a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance

Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development

Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh,

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have

the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute

Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee, A

retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute

Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants

can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and

snake bite, then alternate proofs such as statement of eve witness, affidavit

of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician

## परिशिष्ट ।

#### समनुदेशन–बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

- 1 बीमा पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्णतः या अंशतः प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्टूमेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समनुदेशक या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या अम्पर्यण के तथ्य और कारण, समनुदेशित के पूर्ववृत्त और समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख करते हुए।
- 2. बीमांकर्ता उप–धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है।
- 3. बीमाकर्ता, पृष्ठाकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।
- 4. बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।
- 5. उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंस्टूमेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहां जहां अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरिती या समनुदेशत या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन लिखित में नोटिस या उनके एक प्रमुद्दे के सुरक्षते के प्रत्यापित इंस्टूमेन्ट पर अमल प्रावेश्व करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन लिखित में नोटिस या उनके एडांकन या इंस्टूमेन्ट के प्रति (जिसे जब तक कि अंतरणकर्ता तथा आतरिती दोनों या उनके विधिवत विधिवत प्रावेशन एक रेक्टर द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन लिखित में नोटिस या उनके विधिवत आधिकृत एजेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।

बशतैं जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।

6. जिस तिथि को उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनुदेशन के एक से अधिक इंस्ट्रूमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रूमेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द किए गए हैं। समनदेशितों के बीच भगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे

समनुदाशता क बाच भुगतान का प्राधामकता क बार म कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

- 7 उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनुदेशन के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या समनुदेशित के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या समनुदेशित, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के मुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निष्कर्षी साक्ष्य माना जाएगा कि उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है।
- 8. अंतरण या समनुदेशन के नियमों तथा शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाम के पात्र अंतरिती या समनुदेशित की पहचान करेगा या रेसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या समनुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कारंवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कारंवाई की एक पार्टी बना सकता है।

स्पष्टीकरण – सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनुदेशित या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमश: पूर्ण समनुदेशित या अंतरिती माना जाएगा।

- 9. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समनुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधारों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।
- 10. किसी कानून के होने के बावजुद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस दशा में किया जा सकता है कि
- अ पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर समनुदेशित या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है; या
- बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगाः तथापि सशर्त समनुदेशित पॉलिसी को अभ्यर्पण करने या पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नहीं होगा।
- उप-धार (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायिता आंशिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पुनः समनुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

## परिशिष्ट 🛙

#### नामांकन– बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

- 1 जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाणा। शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुव्तत करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।
- 2. ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के जरिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी श्वित हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लोकन आगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमांकत में उसके द्वारा पंजीकरण के जरिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी श्वित हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लोकन आगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमांकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अतर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।
- बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीयारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णतः हो या अंशतः, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित का हित होगा:

#### Annexure 1 Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amender art) Act 2015

- Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or
- A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
- 2. An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policy-holder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
- The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policy-holder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.
- 4. Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
- 5. Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer.

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being served.

6. The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy, and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which notices referred to in sub-section (5) are delivered: Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the

rrovided that it any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

- 7. Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given or if the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgement relates.
- 8. Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferor or assignor entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (I) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transfere respectively.

- Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by provisions of this section.
- 10. Notwithstanding any law or customer having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that
- a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or
- b. The insured surviving the term of the policy , shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy surrender a policy.

11. In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under subsection (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.
Annexure – 2

# Nomination - As per Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- (1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death: Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money
- secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.
  (2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in the records of the insurer.
- (3) The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.
- (4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its re-assignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुनः समनुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः अंतरण से स्वतः पुनः प्रचालित हो जाएगा।

- 5. जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।
- 6. जहा एक या अधिक नामित हो तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।
- 7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाधी या अपने बच्चों या अपने जीवन साधी और बच्चों या उजने से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप–धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।
- 8. उपरोक्त कहे गए के अधोन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप–धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लामार्थी होंगे।
- उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।
- उप–धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने के बाद भगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लाग होंगे।
- जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्ष होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाम का मुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हो, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाम को पाने का पात्र होगा।
- 12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6, विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो। शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वर पॉलिसी पर लागू नहीं होगी। किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं सानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

## परिशिष्ट III

### बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की घारा 45 के अनुसार

- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
- 2. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरम होने की तिथि या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है। शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरणा ।: इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, ''धोखेधड़ी'' का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

- अ. सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है.
- बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;
- स धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम, तथा

द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो। स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रमावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्धी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कपित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था। धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लामाधियों पर है अगर पॉलिसीधारक

जाउनका के नातरा न इस गयरा साम्रास करने का प्रायस्य लामाख्या पर ह अगर पालसीयियक जीवित नहीं है। स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे

- स्पष्टाकरण काइं व्याक्त जा बामा की सविदा का आग्रह और उसकी सेंदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा।
- 4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनचॉलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है। आगे शर्त यह है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का मुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, आर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ़ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था। consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policy-holder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

- (5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose lifer is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policy-holder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.
- (6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
- (7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.
- (8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
  (9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any
- creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance. (10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance
- maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- (11) Where a policy-holder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceed and benefit of his policy.
- (12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied. Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

## Annexure 3

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- (1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- (2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud.
- Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I. For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy.

- (a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
- (b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the
- (c) any other act fitted to deceive; and
- (d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II: Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the mis-statement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such mis-statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer.

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

- Explanation A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.
  (4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from
- (i) To peoply it matches the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued: Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal

representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement

or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal

representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days

of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk

undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been

because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the

aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time

if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question

Explanation - For the purpose of this sub-section, the mis-statement of or suppress

which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

from the date of such repudiation.

life insured was incorrectly stated in the proposal



नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है: NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पताः / Address of Branch Office:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता: Address of Grievance Redressal Officer: बीमा लोकपाल का पता: Address of Insurance Ombudsman:

नोटः इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : **512** IRDAI Regn. No.: 512